पृष्ठ

विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951 . . 606
(1951 का अधिनियम संख्यांक 70)

Displaced Persons (Debts Adjustment) Act, 1951.

भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1974 . . . 630
(1974 का अधिनियम संख्यांक 48)

Indian Telegraph (Amendment) Act, 1974.

राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1976 . . . 631
(1976 का अधिनियम संख्यांक 79)

President's Pension (Amendment) Act, 1976.

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 633
(1976 का अधिनियम संख्यांक 108)

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977 . . 660
(1977 का अधिनियम संख्यांक 48)

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act 1977.

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 . . 661
(1978 का अधिनियम संख्यांक 29)

Taxation Laws (Amendment) Act, 1978.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 . . . 663
(1979 का अध्यादेश संख्यांक 1)

Representation of People (Amendment) Ordinance. 1979.

रजिस्ट्री सं० डी०—221

REGISTERED No. D-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2—अनुभाग 1क

PART II—Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 29 नवम्बर, 1979/8 अग्रहायण, 1901 (शक) [खण्ड XV
No. 8] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 1979/AGRAHAYANA 8, 1901 (SAKA) [Vol. XV

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1979/8 अग्रहायण, 1901 (शक)

(1) विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम 1951; (2) भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1974; (3) राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1976; (4) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976; (5) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977; (6) कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978; (7) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1978 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्रकाशित पाठ समझे जाएंगे :—

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, November 29, 1979|*Agrahayana* 8, 1901 (*Saka*)

The translations in Hindi of the following, namely:—

(1) The Displaced Persons (Debts Adjustment) Act, 1951; (2) The Indian Telegraph (Amendment) Act, 1974; (3) The President's Pension (Amendment) Act, 1976; (4) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976; (5) The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977; (6) The Taxation Laws (Amendment) Act, 1978; (7) The Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1979; are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951

धाराओं का क्रम

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. अधिनियम, नियम और आदेश का अध्यारोही प्रभाव ।
4. अधिकरण जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने को सक्षम है ।

अध्याय 2

ऋण समायोजन कार्यवाही

5. ऋणों के समायोजन के लिए विस्थापित देनदारों द्वारा आवेदन ।
6. कतिपय दशाओं में आवेदन का अस्वीकृत किया जाना ।
7. नोटिस का जारी किया जाना ।
8. प्रत्यर्थियों द्वारा आक्षेप ।
9. प्रत्यर्थियों पर नोटिस की तामील के पश्चात् कार्यवाही ।
10. विस्थापित देनदारों के विरुद्ध लेनदारों के दावे ।
11. लेनदारों के आवेदन पर प्रक्रिया ।
12. आस्तियों की अनुसूची पर लेनदारों द्वारा आक्षेप ।
13. विस्थापित लेनदारों द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध दावे जो विस्थापित देनदार नहीं हैं ।
14. विस्थापित लेनदार की अर्जी पर प्रक्रिया ।
15. विस्थापित देनदार के आवेदन का परिणाम ।
16. स्थावर सम्पत्ति पर प्रतिभूत ऋण ।
17. जंगम सम्पत्ति पर प्रतिभूत ऋण ।
18. बीमा कम्पनी के विरुद्ध दावे ।
19. कम्पनियों में अंशों पर मांग ।
20. जब कम्पनी या सहकारी समिति समापन में हो तो विस्थापित व्यक्ति या बैंक से मांग का नहीं किया जाना ।
21. कतिपय डिक्री और समझौतों का पुनरीक्षण करने की शक्ति ।
22. संयुक्त ऋणों का प्रभाजन ।
23. कतिपय मामलों में सरलीकृत प्रक्रिया ।
24. रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में धारणा ।

धाराएं

25. 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का लागू होना ।
26. आवेदनों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर और सत्यापन ।
27. डिक्रियों की विषय-वस्तु ।
28. डिक्रियों का निष्पादन ।

अध्याय 3

अनुतोष

29. ब्याज के प्रोद्भवन की समाप्ति ।
30. गिरफ्तारी से छूट ।
31. सम्पत्ति की कुर्की के विषय में अतिरिक्त अनुतोष ।
32. ऋणों का कम करना ।
33. वे बातें जिनको किस्तों में संदाय के निदेश में ध्यान में रखा जाना है ।
34. भरण-पोषण भत्तों में फेर-फार ।
35. विधि व्यवसायी की फीस का विनिर्धारण ।
36. परिसीमा की कालावधि का बढ़ाया जाना ।
37. कतिपय डिक्रियों के निष्पादन के लिए परिसीमा की कालावधि की काट-छांट ।
38. निष्पादन में स्थावर सम्पत्ति का विक्रय ।
39. समझौतों को प्रतिसंहृत ।

अध्याय 4

अपीलें

40. अपील से सम्बन्धित साधारण उपबन्ध ।
41. कतिपय दशाओं में अपील के अधिकार पर निर्बन्धन ।
42. अपील के पक्षकार ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

43. भारतीय विधि के अधीन कतिपय सोसाइटियों और कम्पनियों का रजिस्ट्रीकरण ।
44. कतिपय मामलों में अतिरिक्त आवेदन का वर्जन ।
45. आवेदनों का संशोधन ।
46. सूचना की तामील ।
47. विस्थापित देनदार द्वारा कतिपय मामलों को प्रकट न करने का प्रभाव ।
48. देनदार की मृत्यु पर कार्यवाहियों का उपशमन न होना ।
49. पूर्व संव्यवहार का प्रभावी नहीं होना ।
50. विस्थापित देनदार का दिवालिया नहीं समझा जाना ।
51. कतिपय दशाओं में बैंकों और उनके देनदारों के बीच में समझौतों या इन्तजामों का पुनर्जीवित न करना ।
52. डिक्री की विषय-वस्तु की विहित प्राधिकारी को सूचना ।

धाराएं

53. परिसीमा अधिनियम का लागू होना ।
54. सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची का, आदेश 38 को लागू नहीं होना ।
55. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण ।
56. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
57. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
58. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
59. निरसन ।

विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम संख्यांक 70)

[1 अक्तूबर, 1979 को यथाविद्यमान]

[7 नवम्बर, 1951]

विस्थापित व्यक्तियों द्वारा शोध्य ऋणों के समायोजन और परिनिर्धारण के लिए, उनको देय कतिपय ऋणों की वसूली के लिए, और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए कतिपय उपबंध करने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और विभिन्न राज्यों या उनके विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1913 का 7

(1) "कम्पनी" से इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 में यथापरिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वह कम्पनी भी है जो इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के कारण उस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाएगी ;

1913 का 7

(2) "कंपनी अधिनियम" से इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 अभिप्रेत है ;

(3) "प्रतिकर" से कोई प्रतिकर अभिप्रेत है जो चाहे नकद या वस्तु के रूप में हो और जो विस्थापित व्यक्ति के स्वामित्वाधीन पश्चिमी पाकिस्तान की किसी स्थावर सम्पत्ति के बारे में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच इस निमित्त परिनिर्धारित किया गया हो या भारत सरकार द्वारा विरचित किसी साधारण स्कीम के अधीन संदत्त किया गया हो ;

1912 का 2

(4) "सहकारी समिति" से सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अधीन या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति अभिप्रेत है;

1912 का 2

(5) "सहकारी समिति अधिनियम" से सहकारी समिति अधिनियम, 1912 अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सहकारी समितियों से संबंधित किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि भी है;

(6) "ऋण" से सिविल या राजस्व न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या अन्यथा कोई धन संबंधी दायित्व अभिप्रेत है, जो चाहे वर्तमान में संदेय हो या भविष्य में अथवा अभिनिश्चित हो या अभिनिश्चित किया जाना हो, जो—

(क) ऐसे विस्थापित व्यक्ति के संबंध में जिसने किसी ऐसे क्षेत्र से जो अब पश्चिमी पाकिस्तान का भाग है, अपना निवास का स्थान छोड़ दिया है, या जिसे विस्थापित कर दिया गया है, उसके किसी ऐसे क्षेत्र में जो अब भारत का भाग है, निवास के लिए आने के पूर्व उपगत हो गया था ;

(ख) ऐसे विस्थापित व्यक्ति के संबंध में, जो अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व और पश्चात् किसी ऐसे क्षेत्र में जो अब भारत का भाग है निवास कर रहा है, ऐसे राज्यक्षेत्रों में जो अब पश्चिमी पाकिस्तान का भाग हैं स्थित किसी स्थावर सम्पत्ति की सुरक्षा पर उक्त तारीख से पूर्व उपगत हो गया था:

परन्तु जहां कोई ऐसा दायित्व जो भारत और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में स्थित स्थावर सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उपगत हुआ था, उक्त सम्पत्तियों के बीच इस प्रकार प्रभाजित किया जाएगा कि दायित्व का उक्त सम्पत्तियों में से प्रत्येक के संबंध में ऋण की कुल रकम से अनुपात वही हो जो संव्यवहार की तारीख को सम्पत्तियों में से प्रत्येक के मूल्य का, प्रतिभूति के रूप में दी गई सम्पत्तियों के कुल मूल्य का है, और दायित्व इस खण्ड के प्रयोजनार्थ वही दायित्व होगा जो कि पश्चिमी पाकिस्तान में सम्पत्ति से संबंधित माना जा सकता है ;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से (चाहे वह विस्थापित व्यक्ति हो अथवा नहीं) जो उन राज्यक्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, मामूली तौर से निवास कर रहा है विस्थापित व्यक्ति को देय है ;

और जिसके अन्तर्गत—

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इस खंड में विनिर्दिष्ट है इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व उपगत किया गया कोई धन संबंधी दायित्व भी है, जो ऐसे किसी दायित्व पर आधारित है और एकमात्र उसके नवीकरण के रूप में है जो उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु ऐसे उधार की दशा में, जो चाहे नकद हो या वस्तु के रूप में, मूल रूप से अग्रिम रकम को न कि उस रकम को जिसके लिए दायित्व का नवीकरण किया गया है उस दायित्व का परिमाण समझा जाएगा ;

किन्तु इसके अन्तर्गत पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित किसी न्यायालय द्वारा अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन के पश्चात् पारित किसी डिक्री के अधीन देय कोई धन संबंधी दायित्व या कोई ऐसा धन संबंधी दायित्व नहीं है जिसका सबूत मौखिक करार पर ही निर्भर हो ;

(7) "विस्थापित बैंक" से वह बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जो अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व चाहे पूर्णतः या भागतः किसी ऐसे क्षेत्र में जो अब पश्चिमी पाकिस्तान का भाग है, बैंककारी कारबार करती थी और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अर्थ में विस्थापित बैंक घोषित की गई है।

(8) "विस्थापित लेनदार" से ऐसा विस्थापित व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको किसी अन्य व्यक्ति से चाहे वह विस्थापित व्यक्ति हो अथवा नहीं, ऋण शोध्य है ;

(9) "विस्थापित देनदार" से ऐसा विस्थापित व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे ऋण शोध्य है या ऋण का दावा किया जा रहा है ;

(10) "विस्थापित व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन बनने के कारण या किसी ऐसे क्षेत्र में जो अब पश्चिमी पाकिस्तान का भाग है, सिविल उपद्रवों के कारण या ऐसे उपद्रवों के डर से 1947 के मार्च के प्रथम दिन के पश्चात्, ऐसे क्षेत्र से अपना निवास स्थान छोड़ दिया था या वहां से विस्थापित कर दिया गया था, और जो तत्पश्चात् भारत में निवास कर रहा है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी ऐसे स्थान का जो अब भारत का भाग है निवासी है और जो उस कारण पश्चिमी पाकिस्तान में उसके स्वामित्व की किसी स्थावर सम्पत्ति का प्रबंध, पर्यवेक्षण या नियंत्रण करने में असमर्थ है या असमर्थ कर दिया गया है किन्तु इसके अन्तर्गत बैंककारी कंपनी नहीं है;

(11) "विहित" से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(12) "अधिकरण" से धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने का प्राधिकार है ;

(13) "सत्यापित दावा" से डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (क्लेम्स) ऐक्ट, 1950 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई दावा अभिप्रेत है, जिसके बारे में उसके सत्यापन और मूल्यांकन से संबंधित अंतिम आदेश उस अधिनियम के अधीन पारित कर दिया गया है ; 1950 का 44

(14) "पश्चिमी पाकिस्तान" से पूर्वी बंगाल के प्रांत को अपवर्जित करते हुए पाकिस्तान का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।

अधिनियम, नियम और आदेश का अध्यारोही प्रभाव ।

3. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध और तदधीन बनाए गए नियम और आदेश, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश में या पक्षकारों के बीच किसी संविदा में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

4. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी सिविल न्यायालय या सिविल न्यायालयों के वर्ग को ऐसे अधिकरण या अधिकरणों के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हें इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने का प्राधिकार है और उन क्षेत्रों को जिसमें तथा वह परिमाण जिस तक ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकेगा, परिभाषित कर सकेगी ।

अधिकरण जो इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने को सक्षम है ।

अध्याय 2

ऋण समायोजन कार्यवाही

5. (1) उस तारीख के पश्चात् जब यह अधिनियम किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवृत्त होता है एक वर्ष के भीतर किसी समय विस्थापित देनदार अपने ऋणों के समायोजन के लिए उस अधिकरण को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह वास्तविक रूप से और स्वेच्छा से निवास करता है, या व्यापार करता है या लाभ के लिए वैयक्तिक रूप से काम करता है आवेदन कर सकेगा ।

ऋणों के समायोजन के लिए विस्थापित देनदारों द्वारा आवेदन ।

(2) विस्थापित देनदार द्वारा प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) स्थान जहां वह निवास करता है ;

(ख) व्यापार, आजीविका, वृत्ति या अन्य नियोजन जिसमें कि वह अब लगा हुआ है और जिसमें वह विस्थापित व्यक्ति होने के पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान में लगा हुआ था ;

(ग) आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान भारत में उसकी औसत वार्षिक आय ;

(घ) आय-कर और अतिकर, यदि कोई हो, जो आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए उस पर निर्धारित किया गया है ;

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ;

और आवेदन के साथ निम्नलिखित अनुसूचियां दी जाएंगी, अर्थात्:—

(i) एक अनुसूची जिसमें कि उसके समस्त ऋणों की पूर्ण विशिष्टियां, चाहे वह संयुक्त या वैयक्तिक रूप से ऋणबद्ध हो, उसके लेनदारों और संयुक्त देनदारों, यदि कोई हों, के नाम और पतों सहित जहां तक वे ज्ञात हों या उसके द्वारा युक्तियुक्त सावधानी और तत्परता से अभिनिश्चित किए जा सकते हों ;

(ii) एक अनुसूची जिसमें उसकी जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की समस्त सम्पत्ति भी (उसको शोध्य दावों सहित) है जिसकी इस अधिनियम की धारा 31 द्वारा यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कुर्की नहीं की जा सकती हो, उसके मूल्यों और उन स्थानों का भी विनिर्देश होगा जहां वह प्राप्त की जा सकती है ; 1908 का 5

(iii) एक अनुसूची जिसमें उसकी जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति (उसको शोध्य दावों सहित) है जो इस खंड के मद (ii) के अधीन अनुसूची में सम्मिलित नहीं है ; और

(iv) एक अनुसूची जिसमें उसकी समस्त सम्पत्तियों की जिनके बारे में डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (क्लेम्स) एक्ट, 1950 के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को दावा प्रस्तुत कर दिया गया है और जहां उस अधिनियम 1950 का 44

के अधीन दावे के सत्यापन और मूल्यांकन के संबंध में कोई आदेश पारित कर दिया गया है उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित ।

(3) समस्त व्यक्ति जिनके नाम अनुसूची में विस्थापित देनदार के विरुद्ध दावेदार के रूप में दिखाए गए हैं और ऐसे समस्त व्यक्ति जिनके नाम संयुक्त देनदारों के रूप में दिखाए गए हैं, आवेदन में प्रत्यर्थी समझे जाएंगे, और आवेदन के साथ, या अधिकरण की अनुज्ञा से कार्यवाही के किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर आवेदन की उतनी प्रतियां और प्रत्यर्थियों को सम्यक् रूप से सम्बोधित विहित प्ररूप में इतने लिफाफे और नोटिस जितने कि प्रत्यर्थी हैं फाइल किए जाएंगे ।

कतिपय दशाओं में आवेदन का अस्वीकृत किया जाना ।

6. जहां धारा 5 के अधीन किया गया कोई आवेदन उस धारा की अपेक्षाओं में से किसी का अनुपालन नहीं करता, वहां अधिकरण या तो उसे अस्वीकार कर सकेगा या आवेदक को उतना अतिरिक्त समय प्रदान कर सकेगा जितना वह ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए ठीक समझता है ।

नोटिस का जारी किया जाना ।

7. यदि आवेदन धारा 6 के अधीन अस्वीकार नहीं किया जाता है, तो अधिकरण, धारा 5 में निर्दिष्ट नोटिसों में आवेदन की सुनवाई के लिए तारीख प्रविष्ट कराने के पश्चात् प्रत्यर्थियों पर उनकी तामील करवाएगा ।

प्रत्यर्थियों द्वारा आक्षेप ।

8. धारा 7 के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी आवेदन के विरुद्ध लिखित विवरण, जिसमें आवेदन के प्रति उसके आक्षेप अन्तर्विष्ट होंगे फाइल करके हेतुक दर्शित कर सकेगा :

परन्तु जहां वह स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं होता है, वहां अधिकरण को लिखित विवरण रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सिविल न्यायिक अधिकारी या मजिस्ट्रेट या किसी अन्य विहित अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके और ऐसे अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित करके भेजा जा सकेगा ।

प्रत्यर्थियों पर नोटिस की तामील के पश्चात् कार्यवाही ।

9. (1) कोई आवेदक विस्थापित व्यक्ति है या नहीं, या किसी लेनदार को शोध्य ऋण की रकम या उसके अस्तित्व या किसी विस्थापित देनदार की आस्तियों के बारे में यदि कोई विवाद है, तो अधिकरण ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जो समस्त संबंधित पक्षकारों द्वारा दिए जाएं, मामले का विनिश्चय करेगा और उसके संबंध में ऐसी डिक्री पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) यदि ऐसा कोई विवाद नहीं है, या प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं होते, या आवेदन के मन्जूर किए जाने पर कोई आक्षेप नहीं करते, तो अधिकरण, उसके सामने दिए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् उसके संबंध में ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

विस्थापित देनदारों के विरुद्ध लेनदारों के दावे ।

10. विस्थापित देनदार के विरुद्ध दावा करने वाला कोई विस्थापित व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, उसके अवधारण के लिए उस अधिकरण को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विस्थापित देनदार वास्तविक रूप से और स्वेच्छा से निवास करता है या व्यापार करता है या वैयक्तिक रूप से लाभ के लिए काम करता है, उसकी पूर्ण विशिष्टियां देते हुए लेनदार को शोध्य ऋणों के विवरण के साथ आवेदन दे सकेगा ।

लेनदारों के आवेदन पर प्रक्रिया ।

11. (1) जहां धारा 10 के अधीन आवेदन किया गया है, वहां अधिकरण विस्थापित देनदार पर आवेदन के विरुद्ध हेतुक, यदि कोई हो, दर्शित करने अथवा धारा 5 के अधीन उससे अपनी ओर से आवेदन करने की अपेक्षा करते हुए, नोटिस तामील करवाएगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस के उत्तर में, विस्थापित देनदार धारा 5 के उपबंधों के अनुसार आवेदन करता है, तो अधिकरण मामले में ऐसी अग्रिम कार्यवाही करेगा मानो वह विस्थापित देनदार द्वारा धारा 5 के अधीन आवेदन पर प्रारम्भ की गई थी और इस अधिनियम के अन्य समस्त उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ; किन्तु, यदि विस्थापित देनदार कोई ऐसा आवेदन देना नहीं चाहता तो अधिकरण, ऐसे साक्ष्य पर, यदि कोई हो, जो उसके सामने पेश किया जाए, विचार करने के पश्चात् दावे का अवधारण करेगा और उसके संबंध में ऐसी डिक्री पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) विस्थापित देनदार द्वारा आवेदन के बारे में धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट परिसीमा काल उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन को लागू नहीं होगा ।

आस्तियों की अनुसूची पर लेनदारों द्वारा आक्षेप ।

12. (1) विस्थापित देनदार का कोई लेनदार अधिकरण को, यह कथन करते हुए आवेदन कर सकेगा कि विस्थापित देनदार ने जिसने धारा 5 या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया है, अपनी आस्तियों का कोई भाग छिपाया है, और अधिकरण, विस्थापित देनदार को उसका सम्यक् नोटिस देने के पश्चात् मामले का अवधारण करेगा ।

(2) यदि अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विस्थापित देनदार ने जानबूझकर और कपटपूर्वक अपने आवेदन में ऐसी आस्तियों को सम्मिलित नहीं किया है, तो अधिकरण ऐसे आवेदन को खारिज कर सकेगा या विस्थापित देनदार को इस अधिनियम के अधीन अनुतोषों में से कोई, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होता, देना नामन्जूर कर सकेगा या उसके संबंध में ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

विस्थापित लेनदारों द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध दावे जो विस्थापित देनदार नहीं हैं ।

13. उस तारीख के पश्चात् जब यह अधिनियम किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, एक वर्ष के भीतर किसी समय किसी अन्य व्यक्ति से जो विस्थापित व्यक्ति नहीं है ऋण का दावा करने वाला कोई विस्थापित लेनदार, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए उस अधिकरण को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह या प्रत्यर्थी अथवा यदि एक से अधिक प्रत्यर्थी हैं तो ऐसे प्रत्यर्थियों में से कोई वास्तविक रूप से और स्वेच्छा से निवास करता है या व्यापार करता है या लाभ के लिए वैयक्तिक रूप से काम करता है, उसे शोध्य ऋण के विवरण सहित उसकी पूर्ण विशिष्टियां देते हुए आवेदन कर सकेगा ।

विस्थापित लेनदार की अर्जी पर प्रक्रिया ।

14. (1) जहां धारा 13 के अधीन कोई आवेदन अधिकरण को किया गया है, वहां अधिकरण आवेदन के विरुद्ध कारण, यदि कोई हों, बताने की अपेक्षा करते हुए उसका नोटिस देनदार को दिलवाएगा ।

(2) आवेदक विस्थापित लेनदार है या नहीं या ऋण के अस्तित्व के बारे में या उसकी रकम के बारे में यदि कोई विवाद है तो अधिकरण मामले को ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जो उसके सामने पेश किया जाए विनिश्चित करेगा और उसके संबंध में ऐसी डिक्री पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) यदि ऐसा कोई विवाद नहीं है अथवा यदि देनदार उपस्थित नहीं होता है या उसे बताने का कोई कारण नहीं है तो अधिकरण उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् उसके संबंध में ऐसी डिक्री पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

विस्थापित देनदार के आवेदन का परिणाम ।

15. जहां विस्थापित देनदार ने धारा 5 के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण को आवेदन किया है, वहां निम्नलिखित परिणामों का होना सुनिश्चित होगा, अर्थात् :—

(क) किसी ऐसे ऋण के बारे में, जिसके अध्यधीन विस्थापित देनदार है, किसी सिविल न्यायालय में उक्त आवेदन की तारीख को लम्बित समस्त कार्यवाहियां (विस्थापित देनदार के विरुद्ध पारित की गई डिक्री या आदेशों के विरुद्ध अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के रूप में कार्यवाहियों को छोड़कर) रोक दी जाएंगी और यथा पूर्वोक्त अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण को छोड़कर ऐसी समस्त कार्यवाहियों के अभिलेख अधिकरण को अन्तरित और समेकित किए जाएंगे ;

(ख) समस्त कुर्कियां, व्यादेश, रिसीवर नियुक्ति करने वाले आदेश या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा जारी की गई और किसी ऐसे ऋण के बारे में उक्त आवेदन की तारीख को प्रवृत्त अन्य आदेशिकाएं प्रभावित रहेंगी और कोई आदेशिका, इसमें इसके पश्चात् अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाय जारी नहीं की जाएगी :

परन्तु जहां रिसीवर नियुक्त करने वाला आदेश इस धारा के अधीन प्रभावी नहीं रहता है वहां रिसीवर, उस तारीख से जिससे उसकी नियुक्ति प्रभावी नहीं रहती चौदह दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो अधिकरण किसी दशा में अनुज्ञात करे, उस न्यायालय के बदले जिसने उसकी नियुक्ति की है अधिकरण को अपने बकाया लेखे प्रस्तुत करेगा और अधिकरण को ऐसे लेखों के संबंध में, रिसीवर के बारे में वही शक्तियां होंगी जो उस न्यायालय को थीं या हो सकती थीं जिसने उसको नियुक्त किया था ;

(ग) कोई नया वाद या अन्य कार्यवाही खण्ड (क) में निर्दिष्ट अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण से भिन्न विस्थापित देनदार के विरुद्ध उसके आवेदन से सुसंगत अनुसूची में उसके द्वारा उल्लिखित किसी ऋण के बारे में संस्थित नहीं की जाएगी ;

(घ) विस्थापित देनदार की कोई स्थावर सम्पत्ति जो कुर्की के लिए दायी है, अधिकरण के प्राधिकार के अधीन और ऐसी शर्तों पर ही जो वह ठीक समझे अन्तरित की जाएगी जब तक कि विस्थापित देनदार का आवेदन अंतिम रूप से निपटा न दिया गया हो या उसके विरुद्ध पारित की गई कोई डिक्री की इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तुष्टि न कर दी गई हो।

स्थावर सम्पत्ति पर प्रतिभूत ऋण।

16. (1) जहां विस्थापित व्यक्ति द्वारा उपगत ऋण पश्चिमी पाकिस्तान में उसके स्वामित्व की स्थावर सम्पत्ति पर बंधक, प्रभार या धारणाधिकार के द्वारा प्रतिभूत किया गया है, वहां अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, लेनदार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभूति को रोके रहने या अप्रतिभूत लेनदार समझे जाने का निर्वाचन करे।

(2) यदि लेनदार प्रतिभूति को रोके रहने का निर्वाचन करता है तो वह धारा 10 में यथा उपबंधित इस निमित्त अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को, अपने ऋण के अधीन शोध्य रकम की घोषणा करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(3) जहां किसी भी दशा में लेनदार अपनी प्रतिभूति रोके रहने का निर्वाचन करता है, वहां यदि विस्थापित देनदार किसी ऐसी सम्पत्ति के बारे में जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है कोई प्रतिकर प्राप्त करता है तो लेनदार—

(क) जहां प्रतिकर नकद संदत्त किया गया है, उस पर प्रथम प्रभार का हकदार होगा :

परन्तु ऋण की रकम जिसके बारे में वह प्रथम प्रभार के लिए हकदार होगा वह रकम होगी जिसका कुल ऋण से वैसा ही अनुपात है जैसा सम्पत्ति के बारे में संदत्त किए गए प्रतिकर का इसके बारे में सत्यापित दावे के मूल्य से है, और उस परिमाण तक ऋण कम किया गया समझा जाएगा ;

(ख) जहां प्रतिकर संपत्ति के विनिमय के रूप में है वहां विनिमय के रूप में इस प्रकार प्राप्त की गई भारत में स्थित सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार का हकदार होगा :

परन्तु ऋण की रकम जिसके बारे में वह प्रथम प्रभार के लिए हकदार होगा वह रकम होगी जिसका कुल ऋण से वैसा ही अनुपात है जैसा विनिमय के रूप में प्राप्त सम्पत्ति के मूल्य का उसके बारे में सत्यापित दावे के मूल्य से है, और उस परिमाण तक ऋण कम किया गया समझा जाएगा ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जहां ऋण पश्चिमी पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्ति के स्वामित्व की कृषि भूमि के बंधक द्वारा प्रतिभूत है और बंधक कब्जे सहित था वहां बंधकदार, यदि उसे उस भूमि के बदले में जो पश्चिमी पाकिस्तान में उसके स्वामित्व में थी भारत में भूमि आबंटित की गई है तो आबंटित की गई भूमि के कब्जे में रखने का तब तक हकदार होगा जब तक कि ऋण की भूमि के भोग से तुष्टि नहीं हो जाती है या वह देनदार द्वारा मोचित नहीं कर दिया जाता :

परन्तु किसी भी दशा में ऋण की रकम केवल वही रकम होगी जिसका कुल ऋण से वैसा ही अनुपात है जैसा भारत में लेनदार को आबंटित भूमि के मूल्य का उसके द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई भूमि के मूल्य से है और उस परिमाण तक ऋण कम किया गया समझा जाएगा ।

(5) जहां लेनदार ऋण के संबंध में अप्रतिभूत लेनदार समझे जाने का निर्वाचन करता है, वहां इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

जंगम सम्पत्ति पर प्रतिभूत ऋण ।

17. (1) जहां विस्थापित व्यक्ति द्वारा उपगत और उसकी जंगम सम्पत्ति के गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण के बारे में देनदार के विस्थापित व्यक्ति होने के पूर्व किसी समय ऐसी सम्पत्ति लेनदार के कब्जे में रखी गई थी, वहां निम्नलिखित नियम लेनदार और देनदार के अधिकारों और दायित्वों का विनियमन करेंगे, अर्थात् :—

(क) लेनदार, यदि अब भी उसके कब्जे में गिरवी रखी गई सम्पत्ति है तो वह उसे देय राशि को ऐसी सम्पत्ति के विक्रय द्वारा, देनदार को विक्रय की युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात् वसूल कर सकेगा ;

(ख) लेनदार किसी भी दशा में जहां गिरवी रखी गई सम्पत्ति अब उसके कब्जे में नहीं रही है या देनदार द्वारा मोचन के लिए उपलब्ध नहीं है तो देनदार से ऋण या उसका कोई भाग जिसके लिए गिरवी रखी गई सम्पत्ति प्रतिभूति थी वसूल करने का हकदार नहीं होगा ;

(ग) देनदार किसी गिरवी रखी गई सम्पत्ति के, लेनदार द्वारा विक्रय की दशा में, चाहे खण्ड (क) के अधीन हो या अन्यथा, जहां ऐसे विक्रय के आगम देय ऋण की रकम से कम हैं, अतिशेष संदत्त करने का दायी नहीं होगा ;

(घ) लेनदार किसी भी दशा में जहां गिरवी रखी गई सम्पत्ति के विक्रय के आगम देय ऋण की रकम से अधिक है वहां देनदार को अधिशेष संदत्त करेगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए लेनदार के बारे में किसी भी दशा में यह समझा जाएगा कि गिरवी रखी सम्पत्ति उसके कब्जे में है जबकि गिरवी रखी गई सम्पत्ति यद्यपि उसको दी नहीं गई है अपितु उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दी गई थी या लेनदार की ओर से देनदार द्वारा धारित की जा रही थी और उसका स्वामित्व या कब्जा लेनदार की अभिव्यक्त सम्मति या अनुज्ञा के बिना तृतीय पक्षकार को अन्तरित नहीं किया जा सकता था ।

स्पष्टीकरण 2—जहां कोई मोटरयान या अन्य जंगम सम्पत्ति ऐसे धन से क्रय की गई है, जिसका सम्पूर्ण या कोई भाग लेनदार से उधार लिया गया है,

जिसके पास प्रतिभूति के रूप में उसका स्वामित्व है, किन्तु वह अपनी अनुज्ञा से देनदार को उसका उपयोग करने देता है वहां सम्पत्ति इस धारा के प्रयोजनों के लिए लेनदार के कब्जे में देनदार की गिरवी रखी गई सम्पत्ति समझी जाएगी।

(2) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी लेनदार गिरवी रखी गई सम्पत्ति को हानि या विनाश से उद्भूत होने वाले किसी दावे के बारे में बीमा कम्पनी से इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शोध्य किसी राशि को प्राप्त करने के लिए और उसके बारे में विधिमान्य उन्मोचन करने के लिए हकदार होगा, किन्तु लेनदार उस दशा में जहां बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि उसको शोध्य ऋण की रकम से अधिक है, वहां वह देनदार को अधिशेष संदत्त करेगा ।

बीमा कम्पनी के विरुद्ध दावे ।

18. (1) जहां विस्थापित व्यक्ति को पश्चिमी पाकिस्तान में की कोई सम्पत्ति अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व किसी बीमा कम्पनी के साथ आग या चोरी या बलवे या सिविल उपद्रव से होने वाली जोखिम के विरुद्ध बीमा की गई थी और उस समय जब बीमा की संविदा प्रवृत्त थी ऐसी किसी जोखिम से ऐसी सम्पत्ति को हानि हो गई हो तो ऐसी कम्पनी उसके सम्बन्ध में किसी दावे के अधीन देय राशि को संदत्त करने से इंकार करने की हकदार इस कारण न होगी कि—

(क) करार पाए गए समय के भीतर पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी, या

(ख) करार पाए गए समय के भीतर कम्पनी पर कोई दावा नहीं किया गया था, या

(ग) पश्चिमी पाकिस्तान में हुए उपद्रव, बलवे या सिविल उपद्रव के स्वरूप में नहीं थे जब पालिसी, बलवे और सिविल उपद्रव से प्रोद्भूत किसी जोखिम के लिए है, या

(घ) विस्थापित व्यक्ति ने संविदा की कोई अन्य ऐसी शर्त पूरी नहीं की है जो केन्द्रीय सरकार की राय में तकनीकी प्रकृति की है और जिसको केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए संविदा की शर्त के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया है,

और कोई विपरीत संविदा उस सीमा तक जिस तक वह इस उपधारा के उपबन्धों के उल्लंघन में है प्रभावी नहीं समझी जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी सम्पत्ति के बारे में हानि उपगत हो गई है, वहां अधिकरण प्रत्येक कार्यवाही में जहां ऐसा करना आवश्यक हो, हानि की रकम, वह रकम जिसके लिए ऐसी हानि की तारीख को सम्पत्ति का बीमा किया गया था और बीमा कम्पनी द्वारा संदत्त रकम, यदि कोई हो, क्रमशः अवधारित करेगा और उसकी रिपोर्ट, ऐसे बोर्ड या अन्य प्राधिकारी को करेगा जो विहित किया जाए, और विहित बोर्ड या अन्य प्राधिकारी ऐसे मामलों को जो विहित किए जाएं और उससे सुसंगत हों, ध्यान में रखते हुए और इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, अधिकरण को उस रकम के लिए प्रस्थापना करेगा जिसके लिए बीमा कम्पनी के विरुद्ध दावा डिक्री की जाएगी और अधिकरण तदनुसार डिक्री पारित करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित किसी डिक्री के अधीन बीमा कम्पनी से वसूल की गई रकम, प्रथमतः विस्थापित व्यक्ति से शोध्य ऋण की तुष्टि के लिए उपयोजित की जाएगी और अतिशेष, यदि कोई हो, विस्थापित व्यक्ति को लौटाया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन आवेदन या तो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में बीमा कम्पनी के विरुद्ध दावा करने वाले विस्थापित व्यक्ति द्वारा या किसी समनुदेशिती या ऐसे किसी विस्थापित व्यक्ति के दावे में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अधिकरण को किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विस्थापित व्यक्ति वास्तविक रूप से और स्वेच्छा से निवास करता है या व्यापार करता है या लाभ के लिए वैयक्तिक रूप से श्रम करता है, या इस धारा के अधीन आवेदन करने वाले विस्थापित बैंक की दशा में, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार दावे के सम्बन्ध में शोध्य रकम के अवधारण के लिए उस अधिकरण को किया जा सकेगा जिसकी सीमाओं के भीतर बैंक कारबार करता है ।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही में बीमा कम्पनी और दावे में हितबद्ध सभी व्यक्ति पक्षकार होंगे :

परन्तु अधिकरण, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर यह निदेश दे सकेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम कार्यवाही में जोड़ा जाए जिसकी उपस्थिति अधिकरण के समक्ष सभी अन्तर्वलित प्रश्नों को प्रभावी रूप से तथा पूर्णतया न्यायनिर्णीत करने तथा तय करने के लिए अधिकरण को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो ।

(6) इस धारा के अधीन कोई आवेदन किसी भी दशा में ग्रहण नहीं किया जाएगा जहां हानि की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के भीतर बीमा कम्पनी को कोई दावा नहीं किया गया है ।

स्पष्टीकरण—कोई दावा इस उपधारा के अर्थों में किया गया समझा जाएगा यदि उसकी सूचना, इस बात के होते हुए भी कि सूचना में दावे की रकम विनिर्दिष्ट नहीं है या बीमा की वह संविदा अपेक्षित प्ररूप में, यदि कोई हो, या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्ररूप में, नहीं है, हानि की तारीख के पश्चात् एक वर्ष के भीतर बीमा कम्पनी को दे दी गई है ।

19. (1) जहां कम्पनी या सहकारी समिति ने विस्थापित व्यक्ति या विस्थापित बैंक पर अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन को यथास्थिति, किसी कंपनी या सहकारी समिति में धृत किसी अंश पर असंदत्त रहने वाली किसी रकम के बारे में मांग की है और ऐसी मांग के बारे में देय किसी धन को संदत्त करने में अंशधारी असफल रहा है, तो कंपनी अधिनियम या ज्ञापन या संगम अनुच्छेद या सहकारी समिति अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी ऐसे देय धन के बारे में कोई ब्याज संदेय नहीं होगा और, यथास्थिति, कंपनी या सहकारी समिति, अंश या उसके किसी भाग का समपहरण करने के लिए हकदार नहीं होगी और इस उपधारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी अंश के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया कोई समपहरण प्रभावी नहीं समझा जाएगा और केवल ऐसे समपहरण के कारण ही किसी व्यक्ति के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह कंपनी या सहकारी समिति का सदस्य नहीं रह गया है । कम्पनियों में अंशों पर मांग ।

(2) कंपनी अधिनियम या ज्ञापन या संगम अनुच्छेद या सहकारी समिति अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विस्थापित व्यक्ति या विस्थापित बैंक के लिए विधिपूर्ण होगा कि, यथास्थिति, कंपनी या सहकारी समिति को अपने या उसके द्वारा कंपनी या समिति में धृत किसी अंशतः समादत्त अंश को पूर्ण समादत्त अंशों की ऐसी छोटी संख्या में संपरिवर्तित करने के लिए, जिनको समिति या कंपनी ने जारी कर दिया है और जिसके बारे में पहले से मांग की जा चुकी है, आवेदन करे ।

(3) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व समपहृत कोई अंश कंपनी द्वारा उसके संगम अनुच्छेद के अनुसार व्ययनित कर दिया गया है और कंपनी के लिए विस्थापित

व्यक्ति को वह अनुतोष देना बिना पूंजी बढ़ाए हुए संभव नहीं है जिसके लिए वह इस धारा के अधीन हकदार है, तो कंपनी की पूंजी उस परिमाण तक बढ़ी हुई समझी जाएगी जिस तक कि वह अनुतोष देने के लिए आवश्यक हो ।

(4) यदि कंपनी या सहकारी समिति किसी ऐसे निवेदन का जो उपधारा (2) के अधीन आवेदन में अंतर्विष्ट है अनुपालन करने से इन्कार करती है, तो अधिकरण इस निमित्त उसे आवेदन किए जाने पर और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे इन्कार के लिए कोई कारण नहीं है, कंपनी या सहकारी समिति को तदनुसार निदेश दे सकेगा, और कंपनी या समिति उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी, और प्रत्येक ऐसा निदेश उसकी तारीख से प्रभावी होगा ।

(5) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात कंपनी अधिनियम में या ज्ञापन में या संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसरण में, कंपनी या उसके निदेशकों के बोर्ड द्वारा की गई किसी कार्यवाही की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(6) इस धारा के उपबंध अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन से दस वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावी रहेंगे और तत्पश्चात् उन बातों के सिवाय जो की गई थीं या जिनका लोप किया गया है प्रभावी नहीं रहेंगे ।

जब कंपनी या सहकारी समिति समापन में हो तो विस्थापित व्यक्ति या बैंक से मांग का नहीं किया जाना ।

20. (1) जहां कंपनी या सहकारी समिति का समापन हो रहा है, तो कोई विस्थापित व्यक्ति या विस्थापित बैंक कंपनी अधिनियम या ज्ञापन या संगम अनुच्छेद या सहकारी समिति अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन कंपनी या समिति में उसके द्वारा धृत किसी अंश के बारे में, यथास्थिति, कंपनी या सहकारी समिति की आस्तियों के अभिदाय के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के उपबंध अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन से दस वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावी होंगे और उस तारीख के पूर्व की गई किसी मांग के बारे में भी जिसकी तुष्टि नहीं की गई है लागू होंगे, और उन बातों के सिवाय जो की गई थीं या जिनका लोप किया गया था उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी न रहेंगे ।

कतिपय डिक्री और समझौतों का पुनरीक्षण करने की शक्ति ।

21. (1) जहां, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, किसी ऋण के बारे में विस्थापित देनदार के विरुद्ध सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री पारित कर दी गई है या उसके द्वारा कोई समझौता किया गया है, वहां अधिकरण, उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप बनाने के लिए, ऐसे देनदार के आवेदन पर उसका पुनरीक्षण करेगा ।

(2) ऐसी डिक्री या समझौते के अधीन शोध्य रकम के अवधारण के लिए, अधिकरण, यथास्थिति, न्यायालय के जिसने डिक्री पारित की थी निष्कर्ष या समझौते में अन्तर्विष्ट तथ्यों को उस विस्तार तक आबद्धकर स्वीकार करेगा जिस तक के निष्कर्ष या तथ्य इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं :

परन्तु अधिकरण किसी ऐसी डिक्री के अधीन कोई दावा तब तक अवधारित नहीं करेगा जब तक कि इसके विरुद्ध की गई कोई अपील या पुनरीक्षण अंतिम रूप से विनिश्चित नहीं हो जाता है या उससे कोई अपील करने के लिए अनुज्ञात कालावधि समाप्त नहीं हो जाती और ऐसे समस्त मामलों में अधिकरण का निष्कर्ष अंतिम डिक्री पर आधारित होगा ।

(3) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई अधिकरण किसी ऋण के बारे में बीमा कंपनी और विस्थापित व्यक्ति के बीच या बीमा कंपनी और विस्थापित बैंक के बीच जिसका बीमा कंपनी के विरुद्ध विस्थापित व्यक्ति के दावे में हित है और उस हित

के आधार पर ऐसा समझौता किया गया है, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए समझौते को पुनरीक्षित नहीं करेगा :

परन्तु यह तब जब कि ऐसे समझौते के अनुसरण में पूर्ण संदाय कर दिया गया हो ।

संयुक्त ऋणों का प्रभाजन ।

22. जहां कोई ऋण विस्थापित व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से शोध्य है, वहां अधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उनके बीच में दायित्व का प्रभाजन निम्नलिखित नियमों के अनुसार करेगा, अर्थात् :—

(क) यदि प्रत्येक देनदार का दायित्व परिनिश्चित है तो प्रत्येक के परिनिश्चित अंश के अनुसार ;

(ख) यदि ऋण संयुक्त देनदारों के किसी व्यापार या कारबार के लिए लिया गया था, तो व्यापार या कारबार में संयुक्त देनदारों में से प्रत्येक के द्वारा धारित अंशों के अनुसार ;

(ग) यदि ऋण किन्हीं परिनिश्चित अंशों में, या किसी व्यापार या कारबार के लिए जिसमें भागीदारों का परिनिश्चित अंश हो, नहीं लिया गया था, तो ऋण उतने भागों में प्रभाजित किया जाएगा जितने संयुक्त देनदार हैं और प्रत्येक संयुक्त देनदार उसको प्रभाजित भाग के लिए ही उत्तरदायी होगा ;

(घ) यदि एक संयुक्त देनदार विस्थापित व्यक्ति है और दूसरे नहीं हैं, तो अविस्थापित व्यक्ति को प्रभाजित राशि, इस अधिनियम के अर्थों में ऋण नहीं समझी जाएगी और ऐसे ऋण के बारे में लेनदार सिविल न्यायालय में या अन्यथा उसके लिए उपलब्ध कोई उपचार ढूंढ सकेगा ;

(ङ) यदि ऋण संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब द्वारा लिया गया था तो संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य इस धारा के अर्थों में संयुक्त देनदार समझे जाएंगे और ऋण उसके सदस्यों के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जिसमें विभाजन पर उन्हें अंश आवंटित किए जाएंगे :

परन्तु यह कि ऐसे संयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य का अंश, जिसका उसकी उपरली पुरुष परम्परा में से कोई पुरुष पारम्परिक वंशज जीवित है और ऐसे सदस्य के साथ संयुक्त है, उपरली पुरुष परम्परा में उसके सबसे बड़े उत्तरजीवी वंशज के अंश में सम्मिलित समझा जाएगा और ऐसा सदस्य इस खंड के प्रयोजनार्थ संयुक्त देनदार नहीं माना जाएगा ;

(च) यदि दायित्व जंगम तथा स्थावर संपत्तियों से बंधक द्वारा प्रतिभूत है, तो ऋण दो संपत्तियों के बीच उस अनुपात से प्रभाजित किया जाएगा जो प्रत्येक संपत्ति का संपत्तियों के कुल मूल्यों से है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनार्थ, जंगम संपत्ति का मूल्य उसका वह मूल्य समझा जाएगा जो उस तारीख के ठीक पूर्व था जिसमें देनदार विस्थापित व्यक्ति हो गया था, और स्थावर सम्पत्ति का मूल्य उसके बारे में सत्यापित दावे का मूल्य समझा जाएगा ;

(छ) जहां संयुक्त देनदारों के बीच प्रधान और प्रतिभू का संबंध है, वहां इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात प्रतिभू के विरुद्ध दावे को संस्थित करने से निवारित नहीं करेगी, किन्तु डिक्री हुई रकम से या उस रकम से जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रधान देनदार के विरुद्ध डिक्री की जा सकती हो, अधिक रकम के लिए ऐसे बाद में डिक्री पारित नहीं की जाएगी :

परन्तु वह कुल रकम जो प्रधान देनदार और प्रतिभू से वसूल की जा सकेगी, डिक्री की गई रकम या उस रकम से जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रधान देनदार के विरुद्ध अधिकरण द्वारा डिक्री की जा सकती हो, अधिक नहीं होगी।

कतिपय मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया।

23. किसी व्यक्तिगत ऋण के जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है, अवधारण में,—

(क) अधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह साक्षियों का साक्ष्य पूरा लिखे, किन्तु अधिकरण प्रत्येक साक्षी की जब परीक्षा होती है और जो कुछ वह अभिसाक्ष्य करता है उसके सार का ज्ञापन बनाएगा और प्रत्येक ज्ञापन अधिकरण द्वारा लिखा और हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिलेख का भाग होगा;

(ख) अधिकरण के विनिश्चय में, अवधारण के लिए बातें और उनके विनिश्चय के अतिरिक्त कुछ होना आवश्यक नहीं है।

रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में धारणा।

24. जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह धारणा की जाएगी कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई दस्तावेज या उसकी प्रमाणीकृत प्रतिलिपि जो अधिकरण के समक्ष पेश की गई है साबित हो चुकी है। 1908 का 16

1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का लागू होना।

25. इस अधिनियम में और तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट उपबंधों के द्वारा विनियमित की जाएंगी।

आवेदनों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर और सत्यापन।

26. इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष के लिए अधिकरण के समक्ष पेश किया गया प्रत्येक आवेदन और उससे संलग्न अनुसूचियां, यदि कोई हों, और प्रत्येक लिखित कथन, अभिवचनों के हस्ताक्षरित किए जाने और सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा विहित रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाएंगे। 1908 का 5

डिक्रियों की विषय-वस्तु।

27. उन सब मामलों में जिनमें अधिकरण विस्थापित व्यक्ति के आवेदन पर डिक्री पारित करता है, वह लेनदारों और विस्थापित व्यक्ति की आस्तियों और दायित्वों की पूरी अनुसूची तैयार करेगा।

डिक्रियों का निष्पादन।

28. सिविल न्यायालय, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, अधिकरण के रूप में उसके द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश का उसी रीति से निष्पादन करने के लिए सक्षम होगा जिस रीति में वह तब कर सकता जब वह सिविल न्यायालय के रूप में उसके द्वारा पारित डिक्री या आदेश होता।

अध्याय 3

अनुतोष

ब्याज के प्रोद्भवन की समाप्ति।

29. (1) अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन को और से विस्थापित व्यक्ति द्वारा शोध्य किसी ऋण के बारे में कोई ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा और न प्रोद्भूत हुआ समझा जाएगा और न कोई अधिकरण उसके द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश के बारे में कोई भविष्यवर्ती ब्याज अनुज्ञात करेगा :

परन्तु—

(क) जहां ऋण अंशों, स्टाकों, सरकारी प्रतिभूतियों या स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत किया गया है, वहां अधिकरण अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन से प्रारम्भ होने वाली और इस अधिनियम के प्रारम्भ पर समाप्त होने वाली कालावधि के लिए, लेनदार को ब्याज आपस में करार की गई दर पर या उस दर पर जिस पर कि उसके बारे में कोई लाभांश या ब्याज संदत्त किया गया है या संदेय है, जो भी कम हो वही अनुज्ञात करेगा ;

(ख) किसी अन्य दशा में अधिकरण यदि वह ऐसा करना ठीक और उचित समझता है तो धारा 32 में यथापरिभाषित देनदार को संदाय की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए, खंड (क) में उल्लिखित कालावधि के लिए साधारण ब्याज अनुज्ञात करेगा जिसकी दर चार प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगी ।

(2) इस धारा में की कोई भी बात लेनदार द्वारा जिसके अन्तर्गत बीमा कम्पनी भी है विस्थापित देनदार की जीवन बीमा की पालिसी को चालू रखने के लिए पालिसी की प्रतिभूति पर उधार दिए गए किसी धन के बारे में संदेय ब्याज को लागू नहीं होगी ।

गिरफ्तारी से छूट ।

30. कोई भी विस्थापित व्यक्ति किसी ऋण की वसूली के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् पारित हुई हो, गिरफ्तारी या कारावास के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

सम्पत्ति की कुर्की के विषय में अतिरिक्त अनुतोष ।

1908 का 5

31. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60, विस्थापित व्यक्ति के विरुद्ध ऋण के लिए किसी डिक्री के निष्पादन के सम्बन्ध में (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् पारित की गई हो), इस प्रकार प्रभावी होगी, मानो—

(1) उपधारा (1) के परन्तुक के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए गए हों, अर्थात् :—

"(ग) कृषक के गृह और अन्य भवन (उसकी सामग्री और स्थल और उससे ठीक अनुलग्न और उसके उपभोग के लिए आवश्यक भूमि सहित) जो डिक्रीदार द्वारा निर्णीत ऋणी के पिता, माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्र-वधु, भ्राता, बहन या अन्य आश्रित से अन्यथा किसी व्यक्ति को किराए पर या अन्यथा दी गई साबित नहीं किए गए हैं या जो एक वर्ष या अधिक की कालावधि के लिए खाली छोड़ दिए गए हैं;

(गग) कृषक के दुधारू पशु, चाहे दूध देते हों या ब्याने वाले हों, बछड़ा-बछड़ी, परिवहन या बोझा ढोने वाली गाड़ी के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पशु और खुले स्थान या बाड़े जो आवश्यकता पड़ने पर पशु बांधने के लिए, गाड़ी खड़ी करने या चारा या खाद इकट्ठा करने के लिए अपेक्षित हों ;

(गगग) कृषक से भिन्न निर्णीत ऋणी के स्वामित्व में का और उसके द्वारा अधिवसित एक मुख्य निवास गृह और उससे संलग्न अन्य भवन (उसकी सामग्री और उसके स्थल और उससे ठीक अनुलग्न और उसके उपभोग के लिए आवश्यक भूमि सहित) ;";

(2) खंड (ग) में "सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो सौ पचास रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों;

(3) खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(थ) निर्णीत ऋणी की कृषि उपज का दो-तिहाई;

(द) निर्णीत ऋणी की किसी अन्य सम्पत्ति का इतना जितना उसकी जीविका का साधन बनता हो और जिससे न्यायालय की राय में उसे दो सौ पचास रुपए प्रति मास से अधिक की आय प्राप्त करने की सम्भावना हो;

(ध) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की निधि में से या उसके द्वारा या उसकी ओर से अग्रिम दिया या अग्रिम देने के लिए करार पाया गया कोई उधार या किसी ऐसे उधार से सृजित कोई आस्ति ।

स्पष्टीकरण—जहां कोई ऐसी आस्ति जो कि खंड (ध) में निर्दिष्ट है और अंशतः ऐसे उधार से और अंशतः निर्णीत ऋणी की प्राइवेट निधि से सृजित की गई है, वहां आस्ति का वह भाग जो प्राइवेट निधि से सृजित किया गया है, कुर्की या विक्रय के लिए दायी होगा यदि वह शेष भाग से अलग किया जा सकता है ।"।

ऋणों का कम करना ।

32. (1) जहां धारा 5 या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन विस्थापित देनदार के आवेदन पर, अधिकरण ने इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक ऋण के बारे में देय रकम को अवधारित कर दिया है तो वह देनदार का संदाय करने की सामर्थ्य को अवधारित करेगा ।

(2) यदि देनदार का संदाय सामर्थ्य इस प्रकार अवधारित ऋणों की (ऐसे ऋण को अपवर्जित करते हुए, जिसके बारे में लेनदार ने धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिभूति रखने का निर्वाचन किया है) कुल राशि के बराबर है या उससे अधिक है, तो अधिकरण प्रत्येक लेनदार को शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए इस प्रकार अवधारित कुल राशि के लिए डिक्री पारित करेगा और उसकी अदायगी किस्तों में धारा 33 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार उस समय तक अनुज्ञात करेगा जब तक कि वह कारणों को लेखबद्ध करके अन्यथा निदेश नहीं देता ।

(3) यदि देनदार का संदाय सामर्थ्य उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि से कम है, तो अधिकरण डिक्री को दो भागों में विभाजित करेगा और उसके प्रथम भाग में (जिसे इसमें इसके पश्चात् डिक्री के प्रथम भाग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) यह उपबन्धित करेगा कि संदाय के सामर्थ्य के बराबर राशि, धारा 33 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन, भारत में देनदार की आस्तियों से वसूल की जाए और उसके द्वितीय भाग में (जिसे इसमें इसके पश्चात् डिक्री के द्वितीय भाग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) यह उपबन्धित करेगा कि उपधारा (6) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन अतिशेष किसी प्रतिकर से जो देनदार प्राप्त करे वसूल किया जाए :

परन्तु यदि कोई ऐसा प्रतिकर प्राप्त नहीं होता, तो अतिशेष अवसूलीय होगा ।

(4) लेनदार को जिसने धारा 16 के अधीन अपनी प्रतिभूति रोके रखने का निर्वाचन किया है भारत में देनदार की आस्तियों से उसको देय किसी रकम को वसूल करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात धारा 16 द्वारा उसे दिए हुए अधिकारों में से किसी पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(5) लेनदार को देनदार द्वारा प्रतिकर की प्राप्ति के कम से कम छह मास पूर्व किसी भी समय यह आवेदन करने का हक होगा कि डिक्री के संपूर्ण प्रथम भाग या उसके अतिशेष को जहां तक उसका सम्बन्ध उसको शोध्य किसी ऋण से है, डिक्री के द्वितीय भाग में जोड़ा जाए, और तब उसे भारत में देनदार की आस्तियों से कोई रकम वसूल करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(6) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ डिक्री के द्वितीय भाग की तुष्टि के लिए प्रतिकर से संदेह कोई रकम वह रकम होगी जिसकी डिक्री के द्वितीय भाग में समस्त ऋणों का कुल रकम से वही अनुपात है [जिसके अन्तर्गत उपधारा (5) के अधीन उसमें जोड़ी गई कोई राशि और धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट रीति में प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में अवधारित राशि भी है] जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (क्लेम्स) ऐक्ट, 1950 के अधीन देनदार की सम्पत्ति के बारे में उसको 1950 का 44
संदेय प्रतिकर का सत्यापित दावे से है और प्रतिकर का अतिशेष, यदि कोई हो, विस्थापित देनदार को वापस किया जाएगा ।

(7) डिक्री के प्रथम भाग के बारे में विस्थापित देनदार द्वारा संदत्त प्रत्येक किस्त और उपधारा (6) के अनुसार प्रतिकर से संदेय कोई राशि डिक्रीदारों में आनुपातिक रूप से वितरित की जाएगी, यदि एक से अधिक व्यक्ति उसके लिए हकदार हैं :

परन्तु प्रतिभूत लेनदार जिसने धारा 16 के अधीन अप्रतिभूत लेनदार के रूप में माने जाने का निर्वाचन नहीं किया है, प्रतिकर से संदेय रकम पर पूर्व प्रभार के लिए हकदार होगा ।

(8) जहां विस्थापित व्यक्ति संपत्ति के विनिमय के रूप में प्रतिकर प्राप्त करता है वहां धारा 16 के अधीन लेनदार के पूर्व प्रभार के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, डिक्री के द्वितीय भाग के बारे में संदेय कुल राशि विनिमय के रूप में प्राप्त संपत्ति पर द्वितीय प्रभार होगी, किन्तु द्वितीय प्रभार की रकम वह रकम होगी, जिसका कुल राशि से वही अनुपात है जो विनिमय के रूप में प्राप्त संपत्ति के मूल्य का डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (क्लेम्स) ऐक्ट, 1950 के अधीन मूल्यांकित और सत्यापित मूल सम्पत्ति 1950 का 44
के मूल्य से है ।

(9) जहां डिक्री के प्रथम भाग के बारे में नियत किसी किस्त के संदाय में विस्थापित व्यक्ति व्यतिक्रम करता है या धारा 16 की उपधारा (4) या इस धारा की उपधारा (8) के अनुसार अवधारित रकम, जिसके लिए प्रथम या द्वितीय प्रभार विनिमय के रूप में प्राप्त सम्पत्ति के ऊपर सृजित किया गया हो संदत्त नहीं करता है, वहां लेनदार, निर्णीत ऋणी की कुर्की योग्य आस्तियों की कुर्की और विक्रय द्वारा या विनिमय के रूप में अभिप्राप्त संपत्ति के, जिसके ऊपर प्रभार सृजित किया गया हो, विक्रय द्वारा डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकेगा, और इस प्रकार निष्पादन से वसूल की हुई रकम, डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित की जाएगी :

परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात प्रभार धारियों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

(10) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, जहां प्रतिकर नकदी में संदत्त किया जाता है, वहां वह रकम जो डिक्री के द्वितीय भाग में ऋणों की तुष्टि के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध होगी, ऐसे प्रतिकर की रकम के पचहत्तर प्रतिशत से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी; और जहां यह सम्पत्ति के विनिमय के रूप में है, वहां सम्पति का परिमाण जो उक्त प्रयोजनों के लिए उपलब्ध होगा, किसी भी दशा में ऐसी सम्पत्ति के मूल्य में पचहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "संदाय की समर्थता" पद से अभिप्रेत है विस्थापित देनदार की भारत में समस्त कुर्की योग्य आस्तियों के बाजार मूल्य का योग धन, वह आय

जिसका अगले तीन क्रमवर्ती वर्षों में उद्भूत होना संभाव्य है, और ऐसी आय की संगणना से दो सौ पचास रुपए प्रतिमास की दर से संगणित राशि अपवर्जित होगी ।

वे बातें जिनको किस्तों में संदाय के निदेश में ध्यान में रखा जाना है ।

33. (1) डिक्री के प्रथम भाग के अधीन किन्हीं राशियों के किस्तों द्वारा संदाय का निदेश देने में अधिकरण, अन्य मामलों के साथ निम्नलिखित को भी ध्यान में रखेगा :—

(क) समस्त स्रोतों से विस्थापित व्यक्ति को वर्तमान आय और वह आय जिसका कि उसको भविष्य में प्रतिभूत होना संभाव्य है ;

(ख) जीवन की साधारण आवश्यकताओं के लिए उसके ऊपर आश्रित कुटुम्ब का आकार और व्यय जो विस्थापित व्यक्ति के बालकों को जो उसके ऊपर आश्रित हैं शिक्षा और विवाह के लिए उपगत होना सम्भाव्य है ।

(2) जहां विस्थापित लेनदार अवयस्क है, या विधवा है या वह व्यक्ति है जो किसी शारीरिक निःशक्तता के कारण, अपनी जीविका उपार्जित करने के लिए स्थायी रूप से निःशक्त है, वहां अधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि उसको संदेय कोई किश्त उससे, जिसको संदाय करने के लिए अन्यथा निदेश दिया जा सकता था पच्चीस प्रतिशत अधिक होगी और जहां वह ऐसा करता है वहां वह यह भी निदेश देगा कि अन्य डिक्रीदारों को किश्तें आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएंगी ।

भरण-पोषण भत्तों में फेरफार ।

34. जहां न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन विस्थापित देनदार को किसी व्यक्ति के भरण-पोषण के लिए कालिक भत्ता संदत्त करने का आदेश दिया गया है, या ऐसा भत्ता वह किसी स्वेच्छया किए गए करार के अधीन संदत्त करने के लिए उत्तरदायी है, तो उस दर में जिस पर ऐसा भत्ता संदेय है, अधिकरण द्वारा उसको इस निमित्त आवेदन किए जाने पर फेरफार किया जा सकेगा, यदि विस्थापित देनदार की परिवर्तित परिस्थितियों की दृष्टि से अधिकरण का विचार है कि ऐसा फेरफार आवश्यक है और ऐसा फेरफार, किसी डिक्री आदेश या करार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगा जिसके लिए अधिकरण निदेश दे

विधि व्यवसायी की फीस का विनिर्धारण ।

35. अधिकरण अपने समक्ष किसी कार्यवाही में नियोजित किसी विधि व्यवसायी की फीस के बारे में खर्च के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा खर्चों के संदाय का निदेश देने में, साधारण सिविल न्यायालयों के समक्ष वैसी ही प्रकृति की कार्यवाहियों में ऐसे खर्चों का संदाय विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों का पालन करेगा और उसकी राय में सिविल न्यायालय के समक्ष जो खर्चा होता है उसको आधे से अधिक अधिनिर्णीत नहीं करेगा ।

परिसीमा की कालावधि का बढ़ाया जाना ।

36. इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 या किसी विशेष या स्थानीय विधि या किसी करार में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित वाद इस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय संस्थित किया जा सकेगा,— 1908 का 9

(क) कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, जिसके बारे में डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (इन्स्टीट्यूशन आफ सूट्स) ऐक्ट, 1948 की धारा 8 द्वारा परिसीमा की कालावधि को बढ़ाया गया था, और 1948 का 47

(ख) बीमा कंपनी के विरुद्ध दावे को प्रवर्तित कराने के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही जो खंड (क) के उपबंधों में नहीं आती है, जिसके बारे में वादहेतुक, चाहे पूर्णतः या अंशतः उन राज्यक्षेत्रों में जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित हैं, उत्पन्न हो गया था और वाद या अन्य विधिक कार्यवाही का संस्थित किया जाना संविदा में ऐसी शर्त के

होने के कारण वर्जित हो गया था जो शर्त यदि न होती तो वह खंड (क) में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होता ।

1908 का 5

कतिपय डिक्रियों के निष्पादन के लिए परिसीमा की कालावधि की काट-छांट ।

37. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 48 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विस्थापित व्यक्ति के विरुद्ध ऋण के बारे में डिक्री के निष्पादन के लिए कोई आदेश, निम्नलिखित अवधि के अवसान के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आवेदन पर नहीं किया जाएगा—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व पारित की हुई डिक्रियों की दशा में ऐसे प्रारंभ से छह वर्ष ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् पारित की हुई डिक्रियों की दशा में डिक्रियों की तारीख से छह वर्ष ;

(ग) विहित अन्तरालों या कतिपय तारीखों पर रकम का संदाय करने का निदेश देने वाली डिक्रियों की दशा में, संदाय जिसके बारे में डिक्रीदार डिक्री का निष्पादन करना चाहता है, करने में व्यतिक्रम की तारीख से छह वर्ष :

परन्तु इस धारा में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व पारित डिक्री के निष्पादन के आवेदन के लिए उक्त संहिता की धारा 48 में यथा उपबंधित निष्पादन के समय की परिसीमा में वृद्धि करने के लिए है ।

निष्पादन में स्थावर सम्पत्ति का विक्रय ।

38. (1) जहां विस्थापित व्यक्ति के विरुद्ध ऋण की वसूली के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में उसकी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय चाहा जाता है, वहां डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय प्रथमतः सम्पत्ति का बाजार मूल्य अवधारित करेगा और यदि इस प्रकार अवधारित किया गया मूल्य डिक्री की रकम और किसी पूर्व विल्लंगम की आनुपातिक रकम के बराबर या कम है तो न्यायालय डिक्रीदार को सम्पत्ति अन्तरित करेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन अवधारित मूल्य डिक्री की रकम और किसी पूर्व विल्लंगम की आनुपातिक रकम से अधिक है, तो न्यायालय ऐसी सम्पत्ति के उस भाग का अवधारण करेगा, जिसका मूल्य डिक्री की रकम और ऐसी पूर्व विल्लंगम की रकम के बराबर है, और यदि ऐसा करना युक्ति-युक्त और सुविधाजनक है तो वह भाग डिक्रीदार को अन्तरित कर सकेगा ।

(3) जहां ऐसी सम्पत्ति डिक्रीदार को इस धारा के अधीन अन्तरित कर दी गई है वहां डिक्री इस प्रकार अन्तरित सम्पत्ति के मूल्य की परिसीमा तक तुष्ट समझी जाएगी :

परन्तु यदि डिक्रीदार सम्पत्ति लेने की वांछा नहीं करता या न्यायालय की राय में उसे संपत्ति का अन्तरण करना युक्तियुक्त और सुविधाजनक नहीं है तो सम्पत्ति सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय की जा सकेगी, किन्तु सार्वजनिक नीलाम में प्राप्त कीमत को विचार में लाए बिना, इस धारा के अधीन यथा अवधारित सम्पत्ति का बाजार मूल्य (न कि सार्वजनिक नीलाम के विक्रय आगमों से डिक्रीदार को संदेय रकम) वह रकम समझी जाएगी जो डिक्रीदार की डिक्री के बारे में संदत्त की जा चुकी है और उसकी तुष्टि तदनुसार प्रविष्ट की जाएगी ।

समझौतों को प्रोत्साहन।

39. यदि विस्थापित देनदार और लेनदार या जहां एक से अधिक लेनदार हैं, उनकी ऐसी संख्या, जो दायित्वों के समायोजन के लिए करार में प्रविष्ट विस्थापित देनदार थे शोध्य ऋणों के दो-तिहाई से अधिक मूल्य की धारक है, तो अधिकरण यदि उसे इस निमित्त आवेदन किया जाता है, तो अन्य लेनदारों को सम्यक् नोटिस देने के पश्चात्, तदनुसार शेष ऋणों का समायोजन करेगा और यदि करार की शर्तें ठीक और उचित है, तो तदनुसार डिक्री पारित करेगा।

अध्याय 4

अपील

अपील से संबंधित साधारण उपबंध।

40. धारा 41 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय—

(क) अधिकरण की किसी अंतिम डिक्री या आदेश से, या

(ख) अधिकरण की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के अनुक्रम में किए गए किसी आदेश से, जो यदि सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन के अनुक्रम में पारित किया गया होता तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन अपीलनीय होता, 1908 का 5

उसी उच्च न्यायालय को अपील की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता की सीमाओं में अधिकरण स्थित है।

कतिपय दशाओं में अपील के अधिकार पर निर्बन्धन।

41. धारा 40 में किसी बात के होते हुए भी, जहां अपील की विषय-वस्तु ऋण की रकम से संबंधित है और ऐसी रकम अपील पर पांच हजार रुपए से कम है, तो कोई अपील नहीं की जाएगी।

अपील के पक्षकार।

42. इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा यदि केवल ऐसे व्यक्ति जो अपीलार्थी की राय में उनके बीच संविवाद में वास्तविक प्रश्नों को अवधारित करने के प्रयोजनार्थ अपील के आवश्यक पक्षकार हैं, अपील में प्रत्यर्थी के रूप में जोड़े जाएं :

परन्तु जहां सुनवाई पर उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो अधिकरण के समक्ष उस कार्यवाही में पक्षकार था जिसकी डिक्री से अपील की गई है, किन्तु जो अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है, अपील के परिणाम से हितबद्ध है, तो न्यायालय भविष्यवर्ती तारीख के लिए, जो न्यायालय द्वारा नियत की जाएगी, सुनवाई स्थगित कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति प्रत्यर्थी बनाया जाए।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

भारतीय विधि के अधीन कतिपय सोसाइटियों और कम्पनियों का रजिस्ट्रीकरण।

43. (1) जहां सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या सहकारी समिति अधिनियम, 1912 या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रान्त, में अन्य विधि के अधीन या इंडियन कम्पनीज़ ऐक्ट, 1913 के अधीन अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या कम्पनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उस राज्यक्षेत्र में स्थित है जो अब पश्चिमी पाकिस्तान का भाग है किन्तु उसके सदस्य बहु संख्या में तत्समय भारत में निवासी हैं या कम्पनी की दशा में उसके अंशों का मूल्य के अनुसार तैंतीस सही एक बटा तीन प्रतिशत से अधिक भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित किए जा रहे हैं तो, यथास्थिति, सोसाइटी या कम्पनी इस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर, यथास्थिति, सोसाइटियों, सहकारी समितियों या कम्पनियों के रजिस्ट्रार को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर शासी निकाय के सदस्यों की बहुसंख्या निवास करती है या 1860 का 21 1912 का 2 1913 का 7

व्यापार करती है, भारत में ऐसी सोसाइटी या कम्पनी की मान्यता के लिए आवेदन कर सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार इस विषय में ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे ऐसी मान्यता दे सकेगा या ऐसा करने से इंकार कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश से राज्य सरकार को अपील होगी और रजिस्ट्रार का या अपील में राज्य सरकार का कोई आदेश किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(4) जहां रजिस्ट्रार सोसाइटी, सहकारी समिति या कम्पनी को मान्यता देता है, वहां वह अपने रजिस्टर में उसकी आवश्यक प्रविष्टियां करवाएगा और तब, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या, यथास्थिति, समिति या कम्पनी की किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी वह भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत विधि के अधीन निर्मित और रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी और प्रत्येक ऐसी सोसाइटी या कम्पनी, दूसरे मामलों के साथ-साथ भारत में निवास करने वाले और व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति से उसे देय किसी रकम को मांगने और प्राप्त करने का अधिकार रखेगी ।

कतिपय मामलों में अतिरिक्त आवेदन का वर्जन ।

44. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन, जहां धारा 5 के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन विस्थापित देनदार या धारा 13 के अधीन विस्थापित लेनदार द्वारा किए हुए आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, वहां उस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त आवेदन नहीं किया जाएगा ।

आवेदनों का संशोधन ।

45. किसी आवेदन या उससे उपाबद्ध किसी अनुसूची में लेखन या गणित सम्बन्धी भूलें जो आकस्मिक भूल या लोप से प्रोद्भूत होती हैं अधिकरण द्वारा किसी समय या तो स्वयं या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर ठीक की जा सकेंगी ।

सूचना की तामील ।

46. इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, तामील की जाएगी जब तक कि अधिकरण लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 5 में विनिर्दिष्ट अन्य ढंगों में से किसी में तामील का निदेश न दे ।

1908 का 5

विस्थापित देनदार द्वारा कतिपय मामलों को प्रकट न करने का प्रभाव ।

47. जहां विस्थापित देनदार ने अपने आवेदन की सुसंगत अनुसूची में अपने द्वारा देय कोई ऋण या अपने स्वामित्व की कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, चाहे ऐसी सम्पत्ति कुर्की के लिए दायी हो अथवा न हो, उल्लेख नहीं किया है, वहां इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात—

(क) ऋण की दशा में इस अधिनियम से अन्यथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसकी वसूली के लिए कोई कार्यवाही संस्थित करने से लेनदार को निवारित नहीं करेगी, और

(ख) सम्पत्ति की दशा में किसी ऐसी विधि के अधीन कुर्की किए जाने से या अन्यथा संव्यवहार किए जाने से, निवारित नहीं करेगी ।

देनदार की मृत्यु पर कार्यवाहियों का उपशमन न होना ।

48. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही केवल किसी देनदार की मृत्यु के कारण, जो कार्यवाही में पक्षकार है, उपशमित नहीं समझी जाएगी, और मृत्यु के होते हुए भी डिक्री पारित की जा सकेगी और ऐसी डिक्री का वैसा ही बल और प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने के पूर्व पारित की गई थी:

परन्तु अधिकरण, उस निमित्त आवेदन करने पर देनदार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही में पक्षकार बनवाएगा और इस प्रकार पक्षकार बनाया गया व्यक्ति मृतक

देनदार के विधिक प्रतिनिधि के रूप में उसकी हैसियत के अनुरूप कोई समुचित बचाव कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात मृतक के विधिक प्रतिनिधि को, वहां तक के सिवाय जहां तक मृतक की देनदार आस्तियां उसको न्यायगत हुई हों, डिक्री की तुष्टि के लिए दायी बनाने वाली नहीं समझी जाएगी ।

पूर्व संव्यवहार का प्रभावी नहीं होना ।

49. (1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विस्थापित देनदार ने किसी भी रीति से अपने दायित्वों में से किसी की तुष्टि कर दी है या उसका उन्मोचन कर दिया है तो ऐसे संव्यवहार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात से प्रभावित नहीं होंगे ।

(2) जहां अधिकरण ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी ऋण के बारे में देय कोई रकम अवधारित कर दी है, वहां ऐसे अवधारण से पूर्व के ऋणों के लिए विस्थापित देनदार द्वारा किए गए कोई संदाय (जिसके अन्तर्गत ब्याज में संदाय भी है) इस प्रकार अवधारित रकम में समायोजित किए जाएंगे :

परन्तु किसी भी लेनदार से उसको संदत्त किसी रकम को वापस करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि यह माना जाता है कि वह उस अवधारित रकम से आधिक्य में है जो इस अधिनियम के अधीन उसको देय है ।

विस्थापित देनदार का दिवालिया नहीं समझा जाना ।

50. दिवाले संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई विस्थापित देनदार केवल इस कारण कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपने ऋणों के समायोजन के लिए आवेदन किया है, तत्समय प्रवृत्त दिवाले संबंधी किसी विधि के अर्थों में दिवालिया अथवा इस प्रकार अधिनिर्णीत दिवालिया नहीं समझा जाएगा, और दिवालिएपन के लिए कोई भी आवेदन विस्थापित देनदार के विरुद्ध अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व उसके द्वारा उपगत किसी ऋण के बारे में नहीं होगा ।

कतिपय दशाओं में बैंकों और उनके देनदारों के बीच में समझौतों या इन्तजामों को पुनर्जीवित न करना ।

51. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बैंक का विस्थापित देनदार द्वारा देय किसी ऋण के पुनःसंदाय, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित विस्थापित देनदार और बैंक के बीच किया गया कोई समझौता या इन्तजाम, चाहे इस अधिनियम के पूर्व हो या पश्चात् अधिकरण द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे समझौते और इन्तजाम पर प्रभाव नहीं डालेगी :

परन्तु बैंक के बारे में, उसके और उसके स्वयं के लेनदारों या ऐसे लेनदारों के किसी वर्ग के बीच, कोई ऐसा समझौता या इन्तजाम प्रवृत्त है जो इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 की धारा 153 के अधीन न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर कर दिया गया है : 1913 का 7

परन्तु यह और कि इस अधिनियम की धारा 31 द्वारा यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (ग), (गग), (गगग), (झ), (थ), (द) और (ध) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां विस्थापित देनदार के विरुद्ध किसी कार्यवाही में कुर्की और विक्रय के लिए दायी नहीं होंगी । 1908 का 5

डिक्री की विषय-वस्तु की विहित प्राधिकारी को संसूचना ।

52. (1) प्रत्येक अधिकरण, विहित प्राधिकारी को, ऐसी रीति से जो विहित की जाए धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन घोषित पूर्व प्रभार की रकम संसूचित करेगा और धारा 5 या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन विस्थापित देनदार के आवेदन पर पारित डिक्री की प्रति और धारा 32 की उपधारा (5) के अधीन पारित कोई आदेश भी, जिसमें आदेश की तारीख पर उसमें उल्लिखित लेनदार को शोध्य रकम विनिर्दिष्ट हो, भेजेगा ।

(2) विहित प्राधिकारी धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसार उसको रिपोर्ट किए गए ऋणों को कम करेगा और इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन प्रथमतः धारा 16 की उपधारा (2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार का पूर्व प्रभार चुकाएगा और तत्पश्चात् धारा 32 की उपधारा (10) के अर्थों में वितरण के लिए उपलब्ध प्रतिकर के अतिशेष को अन्य डिक्रीदारों के बीच जिनकी डिक्रियों की उसको रिपोर्ट की गई है, आनुपातिक रूप से वितरित करेगा :

परन्तु किसी ऐसे आनुपातिक वितरण में विहित प्राधिकारी धारा 33 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का सम्यक् ध्यान रखेगा ।

(3) संदेय प्रतिकर की रकम का अतिशेष विस्थापित देनदार को वापस किया जाएगा ।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन किसी डिक्रीदार को विहित प्राधिकारी द्वारा संदत्त कोई रकम उस परिमाण तक विस्थापित देनदार द्वारा शोध्य ऋणों का विधिमान्य उन्मोचन होगी ।

परिसीमा अधिनियम का लागू होना ।

53. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 किसी कार्यवाही के इस अधिनियम के अधीन संस्थित किए जाने को लागू होगा और उसके संबंध में उस अधिनियम द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि की संगणना करने और अवधारण करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन, उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वाद समझा जाएगा ।

1908 का 9

सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची का, आदेश 38 को लागू नहीं होना ।

54. निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 38 में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी ।

1908 का 5

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण ।

55. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

56. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोग किया जा सकेगा ।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

57. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया, तथा उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्रकार बनाए गए नियम निम्नलिखित मामलों में सबके लिए या किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

(क) अतिरिक्त विशिष्टियां, यदि कोई हों, जो धारा 5 के अधीन आवेदन में होनी चाहिए;

(ख) वह प्ररूप जिसमें इस अधिनियम के अधीन सूचनाएं जारी की जा सकेंगी;

(ग) वह प्ररूप जिसमें धारा 10 या धारा 13 के अधीन आवेदन किए जा सकेंगे;

(घ) वे रजिस्टर जो इस अधिनियम के अधीन रखे जाने चाहिएं;

(ङ) वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम के अधीन विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं ;

(च) वह बोर्ड या अन्य प्राधिकारी जिसकी धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन कोई रिपोर्ट की जाए और वे मामले जो ऐसे बोर्ड या अन्य प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट बनाने में ध्यान में रखने चाहिएं ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

58. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

(क) राज्य के भीतर विहित अधिकरणों के बीच कारबार का वितरण;

(ख) वह रीति जिसमें अधिकरण के समक्ष पेश की गई दस्तावेजों की प्रतियां प्रमाणित की जानी चाहिए;

(ग) अधिकरणों द्वारा भेजी जाने वाली विवरणियां और वे प्राधिकारी जिनको यह भेजी जाएंगी ।

निरसन ।

59. धारा 36 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (इन्स्टिट्यूशन आफ सूट्स) ऐक्ट, 1948 और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (लीगल प्रोसीडिंग्स) ऐक्ट, 1949 इस अधिनियम में यथापरिभाषित विस्थापित व्यक्तियों को लागू नहीं रहेंगे ।

1948 का 47
1949 का 25

21579

भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1974

(1974 का अधिनियम संख्यांक 48)

[30 नवम्बर, 1974]

भारतीय तार अधिनियम, 1885
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1974 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

1885 का 13

2. भारतीय तार अधिनियम, 1885 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 7 में,— धारा 7 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङङ) किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था करने के लिए किसी आवेदन के संबंध में प्रभार ; " ;

(ii) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(5) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।" ।

विधिमान्यकरण ।

3. 1969 के दिसम्बर के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाली और इस अधिनियम के प्रारम्भ पर समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान, किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था करने के लिए भारतीय तार नियम, 1885 के नियम 414 के अधीन किसी आवेदन के संबंध में किन्हीं प्रभारों का उद्ग्रहण या संग्रहण विधि के अनुसार किया गया समझा जाएगा और तदनुसार ऐसे किसी उद्ग्रहण या संग्रहण को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और ऐसे प्रभारों के प्रतिदाय के लिए या ऐसे आवेदन के संबंध में किसी अन्य अनुतोष के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं लाई जाएगी ।

25979

राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 79)

[25 अगस्त, 1976]

राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1976 है । संक्षिप्त नाम ।

धारा 2 का संशोधन।

2. राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1951 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में,— 1951 का 30

(क) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की पत्नी या पति अपने शेष जीवन-काल में मुफ्त चिकित्सीय परिचर्या और उपचार का हकदार होगा।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो जाता है, वहां ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की पत्नी या पति उस अवधि में जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति पुनः उस पद को धारण करता है इस धारा के अधीन किसी प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा।"।

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

पद धारण करते हुए मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति की पत्नी या उसके पति को मुफ्त चिकित्सीय परिचर्या और उपचार।

"3. ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो राष्ट्रपति का पद धारण किए हुए है, मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी या पति अपने शेष जीवनकाल में मुफ्त चिकित्सीय परिचर्या और उपचार का हकदार होगा।"।

धारा 5 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 108)

[1 अक्तूबर, 1979 को यथाविद्यमान]

[18 सितम्बर, 1976]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जनगणना प्राधिकारी" से भारत का महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

1972 का 76

(ग) "परिसीमन अधिनियम" से परिसीमन अधिनियम, 1972 अभिप्रेत है;

(घ) "अन्तिम जनगणना" से भारत में 1971 में की गई जनगणना अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अभिप्रेत हैं;

(छ) "राज्य" से ऐसा राज्य अभिप्रेत है जो अनुसूचित जातियां आदेश और अनुसूचित जनजातियां आदेशों में सम्मिलित है और इसके अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र भी है ।

अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन ।

3. अनुसूचित जातियां आदेश, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किया जाता है ।

अनुसूचित जनजातियां आदेशों का संशोधन ।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किए जाते हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अवधारण ।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जैसी कि वह अन्तिम जनगणना के समय थी, जनगणना प्राधिकारी द्वारा अभिनिश्चित या प्राक्कलित की जाएगी ।

(2) जहां धारा 3 या धारा 4 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण,—

(क) किसी राज्य में किसी परिक्षेत्र में, जो उक्त धाराओं में निर्दिष्ट आदेशों की अनुसूचियों के भागों में से किसी भाग में किसी जाति या जनजाति के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है कि ऐसी जाति या जनजाति के सम्बन्ध में बड़ा क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में और किसी पूर्वतन जनगणना में जिसमें वर्धित क्षेत्र के संबंध में उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े अभिनिश्चित किए गए थे, यथा अभिनिश्चित उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा और वह ऐसे आंकड़ों में उस अनुपात से जिसमें उस राज्य की या, यथास्थिति, खण्ड, जिले, तालुक, तहसील, पुलिस थाने, विकास खंड या अन्य प्रादेशिक खण्ड की साधारण जनसंख्या में जिसके संबंध में ऐसी जाति या जनजाति उक्त संशोधनों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, पूर्वोक्त पूर्वतन जनगणना और अन्तिम जनगणना के बीच वृद्धि या कमी हुई है, वृद्धि या कमी करके उस जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करेगा;

(ख) किसी जाति या जनजाति में, जो किसी राज्य या उसके भाग के संबंध में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों समझी

गई है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है कि ऐसी जाति या जनजाति को ही उस राज्य या उसके भाग के संबंध में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा :

परन्तु जनगणना प्राधिकारी के लिए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जिसमें उस जाति या जनजाति की जनसंख्या अन्तिम जनगणना में और पूर्वतन जनगणनाओं में से किसी जनगणना में अभिनिश्चित नहीं की गई थी और उस प्राधिकारी की राय में संख्या में कम है ।

स्पष्टीकरण—जहां खंड (क) में निर्दिष्ट किसी वर्धित क्षेत्र के संबंध में किसी जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े एक से अधिक पूर्वतन जनगणनाओं में अभिनिश्चित किए गए थे वहां जनगणना प्राधिकारी, उस खंड के प्रयोजनों के लिए, पूर्वतन जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी जाति या जनजाति की ऐसी जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा जो समय की दृष्टि से अन्तिम जनगणना के निकटतम हैं ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित या अवधारित जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे ।

(4) इस प्रकार अधिसूचित जनसंख्या के आंकड़े अन्तिम जनगणना के समय यथा अभिनिश्चित सुसंगत जनसंख्या के आंकड़े माने जाएंगे और पूर्व प्रकाशित आंकड़ों को अतिष्ठित करेंगे; और इस प्रकार अधिसूचित आंकड़े अन्तिम होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे ।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनः समायोजन ।

6. (1) धारा 5 के अधीन किसी राज्य के संबंध में जनसंख्या के आंकड़ों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के, परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के और इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में (ऐसे आदेश में दिए गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन किए बिना), ऐसे संशोधन करे जो उस राज्य की, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों को या अनुसूचित जनजातियों को ऐसे आदेश में जो आयोग द्वारा इसके अधीन संशोधित किया जाए, यथा विनिर्दिष्ट आरक्षित स्थानों की संख्या के आधार पर समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के बारे में यह समझा जाएगा कि तदनुसार उनका संशोधन किया गया है ।

1950 का 43

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन करने में, आयोग, जहां तक आवश्यक हो, परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के उपबन्धों को ध्यान में रखेगा ।

(3) आयोग—

(क) संशोधनों के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को भारत के राजपत्र में, और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति से जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा ;

(ख) वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह उन प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो गए हैं ; और

(घ) तत्पश्चात् आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा ।

आयोगकी प्रक्रिया और शक्तियां ।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना ;

(ख) किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की अपेक्षा करना ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और विषयों के बारे में कोई जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में, आयोग के विचाराधीन किसी विषय के लिए, उपयोगी या उससे सुसंगत है ।

(3) आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 1974 का 2

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी ।

संशोधनों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीखें ।

8. (1) आयोग संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में अपने द्वारा किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा ।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, प्रत्येक ऐसे संशोधन को विधि का बल होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसा प्रत्येक संशोधन लोक सभा और संबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा ।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में किन्हीं प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसा पुनःसमायोजन, जो संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में आयोग द्वारा किए गए किन्हीं संशोधनों के कारण आवश्यक हो गया है और इस प्रकार संशोधित ऐसे आदेश में उपबन्धित है, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के ऐसे प्रत्येक निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होगा जो ऐसे संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्तर्विष्ट प्रतिनिधित्व सम्बन्धी उपबन्धों को अतिष्ठित करते हुए इस प्रकार लागू होगा। 1950 का 43

(5) पूर्वगामी उपधाराओं की कोई भी बात लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में उस प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा किए गए संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में है।

निर्वाचन आयोग की कतिपय अन्य शक्तियां।

9. (1) आयोग, भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, —

(क) इस अधिनियम के अधीन यथासंशोधित संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में किसी मुद्रण सम्बन्धी भूल को या किसी ऐसी गलती को जो अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई हो, ठीक कर सकता है ; और

(ख) जहां उक्त आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है, वहां उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए ऐसे संशोधन कर सकता है जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, लोक सभा और सम्बन्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए कार्यों का विधिमान्यकरण।

10. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अवधारण के लिए जनगणना प्राधिकारी द्वारा, या निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा, की गई सभी बातें और कार्यवाहियां जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हैं, इन उपबन्धों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएंगी मानो ऐसे उपबन्ध, ऐसी बातें या कार्यवाही किए जाने के समय प्रवृत्त थे।

प्रथम अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,—

(क) पैरा 2 में, अंक "17" के स्थान पर अंक "19" रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

"4. इस आदेश में किसी राज्य अथवा उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथागठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है।";

(ग) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

"अनुसूची

भाग 1—आन्ध्र प्रदेश

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड़
3. अनामुक
4. आरे माल
5. अरुंधतिय
6. अख माल
7. बारिकी
8. बावुरी
9. बेड़ जंगम, बुड़ग जंगम
10. बिंड्ल
11. बैगारा
12. चचटि
13. चलवादि
14. चमार, मोची, मुचि
15. चम्भार
16. चंडाल
17. डक्कल, डोक्कलवार
18. दण्डासि
19. ढोर
20. डोम, डोम्बार, पैडी, पनो
21. एल्लमल्वार, येल्लमालवाण्डलु
22. घासी, हड्डी, रेल्लि चचन्डि
23. गोडागल्ली
24. गोडारी
25. गोसंगी
26. होलया
27. होलया दासरि
28. जग्गलि
29. जम्बुवुलु
30. कोलुपुलवाण्डलु
31 मदासि कुरुवा मदारि कुरुवा
32. मादिगा
33. मादिगा दासु, मष्टीन
34. महार
35. माला
36. माला दासरि
37. माला दासु
38. माला हन्न
39. माला जंगम
40. माल मस्ति
41. माला साले, नेट्कानि
42. माला सन्यासी
43. मांग
44. मांग गारोडी
45. मन्ने
46. मष्टि
47. मातंगि
48. मेहतर
49. मिताअय्यल्वार
50. मुण्ड्ला
51. पाकि, मोटि, तोटि
52. पम्बड, पम्बण्ड
53. पमिडी
54. पंचम, पेरिया
55. रेल्लि
56. सामगार
57. सम्बन
58. सप्रु
59. सिन्दोल्लु, चिन्दोल्लु

भाग 2—आसाम

1. बांस फर
2. भुईमाली, माली
3. वृत्तियाल बनिया, बनिया
4. धुपी, धोबी
5. डुगला, ढोली
6. हिरा
7. जालकेवट
8. झालो, मालो, झालो-मालो
9. कैवर्त, जालिया
10. लालबेगी
11. माहरा
12. मेहतर, भंगी
13. मोची, ऋषि
14. नामशूद्र
15. पटनी
16. सूत्रधार

भाग 3—बिहार

1. बांतर
2. बाउरी
3. भोगता
4. भुइया
5. भूमिज (उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर खण्डों तथा संथाल परगना जिले को छोड़कर)
6. चमार, मोची
7. चौपाल
8. दबगर
9. धोबी
10. डोम, धनगद
11. दुसाध, धारी, धरही
12. धासी
13. हलालखोर
14. हाड़ी, मेहतर, भंगी
15. कंजर
16. कुरारियार
17. लालबेगी
18. मुसहर
19. नट
20. पान, स्वासी
21. पासी
22. रजवार
23. तूरी

भाग 4—गुजरात

1. अगेर
2. बाकड़, बण्ट
3. बावा-डेढ, डेढ-साधु
4. भाम्बी, भाम्भी, असादरु, असोदी, चमाडिया, चमार, चाम्भार, चमगार, हरलय्या, हरली, खालपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, नालिया, तेलगु मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार
5. भंगी, महतर, ओल्गना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमल्ली
6. चलवादि, चन्नय्य
7. चेन्ना दासर, होलेय दासर
8. डंगशिया
9. ढोर, कक्कया, कंकय्या
10. गरमातंग
11. गरोडा, गरो
12. हल्लीर
13. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार
14. होलार, वल्हार
15. होलेय, होलेर
16. लिंगा डेर
17. महार, तराल, धेगु मेगू
18. महायावंशी, धेड़, धेढ, वणकर, मरु वणकर, अन्त्यज
19. मांग, मातंग मिणिमादिग
20. मांग-गारुडी
21. मेघवल, मेघवाल, मेधवार
22. मुक्की
23. नाडिया, हाडी
24. पासी
25. सेनवा, शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत
26. शिमलिया
27. थोरी
28. तीरगार, तीरबन्द
29. तुरी
30. तुरी, बरोत, डेढ बरोत

भाग 5—हरियाणा

1. आद धर्मी
2. बाल्मीकि, चूहड़ा, भंगी
3. बंगाली
4. बराड़, बुराड़, बेराड़
5. बटवाल
6. बौरिया, बावरिया
7. बाजीगर
8. भंजड़ा
9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी
10. चनाल
11. डागी

12. दड़ै
13. ढेहा, ढैया, ढेश्रा
14. धानक
15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी
16. डुमना, महाशय, डूम
17. गगड़ा
18. गंढीला, गण्डील, गोन्दोला
19. कबीरपंथी, जुलाहा
20. खटीक
21. कोरी, कोली
22. मरीजा, मरेचा
23. मजहबी
24. मेघ
25. नट
26. श्रोड़
27. पासी
28. पेरना
29. फरेरा
30. सनहाय
31. सनहाल
32. सांसी, भेड़कूट, मनेश
33. संसोई
34. सपेला
35. सरेड़ा
36. सिकलीगर
37. सिरकीबन्द

भाग 6—हिमाचल प्रदेश

1. श्राद धर्मी
2. बांढ़ी, नागलू
3. बाल्मीकि, भंगी, चूहड़ा, चूड़ा, चूहड़े
4. बाधेला
5. बंगाली
6. बंजारा
7. बांसी
8. बरड़
9. बराड़, बुराड़ बेराड़
10. बटवाल
11. बौरिया, बावरिया
12. बाजीगर
13. भंजड़ा, भंजड़े
14. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी, रामदासिया, मोची
15. चनाल
16. छिम्बे, धोबी
17. दागी
18. दड़ैं
19. दराई, दरयाई
20. दाउले, दावले
21. ढाकी, तूरी
22. धानक
23. धाश्रोगरी, धुश्राई,
24. धोगरी, धांगरी, सिग्गी
25. डूम, डूमना, डुमना, डुमने, महाशा
26. गगड़ा
27. गंधीला, गण्डील, गोण्डोला
28. हाली
29. हेसी
30. जोगी
31. जुलाहा, जुलाहे, कबीरपंथी, कीर
32. कमोह, डगोली
33. करोक
34. खटीक
35. कोरी, कोली,
36. लोहार
37. मरीजा, मरेचा
38. मजहबी
39. मेघ
40. नट
41. श्रोड
42. पासी
43. परेना
44. फेडा, फेरेडा
45. रेहाड़, रेहाड़ा
46. सनहाई
47. सनहाल
48. सांसी, भेड़कूट, मनेश
49. संसोई
50. सपेला
51. सरड़े, सरेड़ा, सराड़े, सिरयाड़े, सरेहड़े
52. सिकलीगर
53. सिपी
54. सिरकीबन्द
55. तेली
56. ठठियार, ठठेरा

भाग 7—कर्नाटक

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आदीय (कुर्ग जिले में)
5. आगेर
6. आजिला
7. अनामुक
8. आर्य माला
9. अरुंथियार
10. आर्वमाला
11. बैरा
12. बाकड़
13. बंट (बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़ और उत्तरी कनारा जिलों में)
14. बकुड़ा
15. बालगाई
16. बण्डी
17. बंजारा, लम्बाणी
18. बथड़ा
19. बेड़ जंगम, बुडग जंगम
20. बेल्लारा
21. भंगी, मेहतर, ओलगाना रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाड़माली
22. भंबी, भंभी, असादरू, आसोदी, चमड़िया, चमार, चम्भार, चामगार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचिगार, मोचिगार, मादार, मादिग, मोची, मुची, तेलगु-मोची, कामटि-मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार
23. भोवी
24. विडल
25. ब्यागरा
26. चक्किलियान
27. चलवादी, चलबादी, चल्लैया
28. चांडाल
29. चेन्नादासर, होलयादासर
30. दक्कल, दक्कलवार
31. दक्कलिगा
32. ढोर, कक्कय्या, कन्कय्या
33. डोम, डोम्बर, पैडी, पानो
34. एल्लमलवार, येल्लम्मलवाण्डलु
35. गंटी चोर
36. गारोडा, गरो
37. गोड्डा
38. गौसंगी
39. हल्लीर
40. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्व
41. हंदी जोगी
42. हस्ला
43. होलार, वलहार
44. होलाय, होलेर, होलेय
45. होलेयदासरी
46. जग्गली
47. जम्बुवुल
48. कडैयन
49. कल्लादि
50. कैम्मारी
51. कोलुपुलवाण्डल
52. कूसा
53. कोरच
54. कोरम
55. कोटेगार, मैत्री
56. कुड़ुम्बन
57. कुरवान्
58. लिंगाडेर
59. मचला
60. मदारी
61. मादिग
62. महार, तराल, धेगु मेगु
63. माहयावंशी, धेड़, बणकर, मारु-बणकर
64. मैला
65. माल
66. मालदासरी
67. माल हन्नई
68. मालजंगम
69. मालमस्ती
70. मालसाले, नेतकानि
71. माल सन्यासी
72. मांग, मातंग, मिनिमादिग
73. मांग गारुडी, मांग गारोडी
74. मन्ने
75. मश्ती
76. मविलन
77. मेघवाल, मेंघवार
78. मोगेर
79. मुक्की
80. मुंडाला
81. नाडिया, हाडी
82. नलकडय
83. नलकेयव
84. नायाडि
85. पाले
86. पल्लन्

87. पम्बाड़ा
88. पंचम
89. पन्नियाडि
90. परइयान, परय्या
91. परवन
92. राणीयार
93. सामगार
94. सम्बन
95. सपरी
96. सिल्लेकियथस
97. सिंबोलू, चिंदोलू
98. सुडुगाडुसिद्ध
99. तोटि
100. तीरगार, तीरबन्द
101. वल्लुवन

भाग 8—केरल

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आजिला
5. अरुन्थथियार
6. अय्यनवर
7. बैरा
8. बकुडा
9. बंडी
10. बथडा
11. बेल्लारा
12. भरतर
13. बोयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर]
14. चक्किलियान
15. चमार, मुची
16. चांडाल
17. चेरुमन
18. डोम्बन
19. गवार
20. गोडागली
21. गोड्डा
22. गोसंगी
23. हस्ला
24. होलेय
25. कडैयन
26. कक्कलन
27. कल्लाडी
28. कणक्कन्न, पद
29. करिम्पालन
30. कवर
31. कूसा
32. कूटन, कुडन
33. कुडुम्बन
34. कुरवन, सिद्धनार
35. मैला
36. मलयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में] 1956 का 37
37. मण्णन
38. माविलन
39. मोगेर
40. मुण्डाला
41. नलकेयव
42. नलकाडय
43. नायाडी
44. पर्वन्नन
45. पल्लन
46. पल्लुवन
47. पाम्बाडा
48. पाणन
49. पंचम
50. परैयन, परयन, सांबवर
51. परवन
52. पतियन
53. पेरुमण्णन
54. पुलयन, चेरमर
55. पुलय वेट्टुवन
56. पुतिरई वण्णन
57. राणीयार
58. सामगार
59. सम्बन
60. सेम्मान
61. तण्डाल
62. मोटि
63. वल्लोन
64. वल्लुवन
65. वण्णन
66. वेलन
67. वेटन
68. वेट्टुवन

भाग 9—मध्य प्रदेश

1. औघलिया
2. बागरी, बागड़ी
3. बहना, बाहना
4. बलाही, बलाई
5. बांछडा
6. वरहर, बसोड
7. वरगुन्डा
8. बसोर, बुरुड़, बांसोर, बांसोडी, बांसफोड़, वसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालबेगी, धरकार
12. भानुमती
13. चडार
14. चमार, चमारी, बेरवा, भांबी, जाटव, मोची, रैगड़, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यबंशी, सूर्यरामनामी, अहिरवार, चमार मंगन, रैदास
15. चिदार
16. चिकवा, चिकवी
17. चित्तार
18. दहाइत, दहायत, दहात
19. देवर
20. धानुक
21. धेड, धेड़
22. धोबी, (भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में)
23. डोहोर
24. डोम, डुमार, डोमे, डोमर, डोरिस
25. गांडा, गांडी
26. घासी, घसिया
27. होलिया
28. कंजर
29. कातिया, पथरिया
30. खटीक
31. कोली, कोरी
32. कोतवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)
33. खगार, कनेरा, मिरधा
34. कुचबंधिया
35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टिकमगढ़ जिलों में)
36. महार, मेहरा, मेहर
37. मांग, मांगगारोडी, मांग गारुडी, दंखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारुडी, राघे मांग
38. मेवाल
39. मोघिया
40. मुसखान
41. नट, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतर
42. पारधी (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)
43. पासी
44. रुज्झर
45. सांसी, सांसिया
46. सिलावट
47. झमराल

भाग 10—महाराष्ट्र

1. अगेर
2. अनामुक
3. आरे माला
4. आखामाला
5. बहना, बाहना
6. बाकड़, बंट
7. बलाही, बलाई
8. बसोर, बुरुड़, बांसोर, बांसोडी
9. बेडा जंगम, बुडगा जंगम
10. बेडर

11 भांबी, भंभी, असादरू, असोदी, चमाडिया, चमार, चमारी, चंभार, चामगार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामाटी मोची, रार्णीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगार, सतनामी, सूर्यबंशी, सूर्यरामनामी

12. भंगी, मेहतर, ओलगना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमाली

13. बिंदला

14. ब्यागरा

15. चलवादि, चन्नैया

16. चेन्नादासर, होलाय दासर, होलय दासरी

17. डक्कल, डोक्कलवार

18. ढोर, कक्कय्या, कन्कय्या, डोहोर

19. डोम, डुमार

20. एल्लमलवार, येल्लम्मलावाण्डलु

21. गंदा, गंदी

22. गरोडा, गरो

23. घासी, घसिया

24. हल्लीर

25. हलसार, हसलार, हुल्स्वार, हलस्वार

26. होलार, वलहार

27. होलया, होलेर, होलेया होलिया

28. कैकाडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों में और राजुरा तहसील को छोड़कर चन्द्रपुर जिले में)

29. कटीया, पठारिया

30. खंगार, कनेरा, मिरधा

31. खाटीक, चिकवा, चिकवी

32. कोलुपुलवाण्डलु

33. कोरी

34. लिंगादार

35. मादगी

36. मादिगा

37. महार, मेहरा, तराल, धगु मेगु

38. माहयावंशी, घेड़, वणकर, मारूवणकर

39. माला

40. मालादासरी

41. माल हन्नै

42. माला जंगम

43. माला मस्ती

44. मालसाले, नैतकानि

45. माला सन्यासी

46. मांग, मातंग, मिनिमादिग, दखनी मांग, मांग-महाशी, मदारी, गारुडी, राधे मांग

47. मांग गारोडी, मांग गारुडी

48. मन्ने

49. मश्ती

50. मेघवाल, मेंघवार

51. मिठा अय्यलवार

52. मुक्री

53. नाडीया, हाडी

54. पासी

55. सांरी

56. शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत

57. सिंधोलू, चिंदोलू

58. तीरगार, तीरबन्द

59. तुरी

भाग 11—मणिपुर

1. धुपी, धोबी
2. लोई
3. मुची, रविदास
4. नामशूद्र
5. पाटनी
6. सूत्रधार
7. यैथिबि

भाग 12—मेघालय

1. बांसफोड़
2. भुईंमाली, माली
3. बृत्तियाल बनिया, बनिया
4. धुपी, धोबी

5. डुगला, ढोली
6. हीरा
7. जलकेवट
8. झालो, मालो, झालो-मालो
9. कैबर्त, जालिया
10. लालबेगी
11. महरा
12. मेहतर, भंगी
13. मुची, ऋषि
14. नामशूद्र
15. पाटनी
16. सूत्रधार

भाग 13—उड़ीसा

1. आदि आन्ध्र
2. अमान्त, अमात
3. औधेलिया
4. बडैक
5. बाघेटी, बाघुटी
6. बाजीकर
7. बारी
8. बारीकी
9. बासोर, बुरुड
10. बाउरी
11. बाउटी
12. बावुरी
13. बेडिया, बेजिया
14. बेलदार
15. भाट
16. भोई
17. चचटी
18. चकली
19. चमार, मोची, मुची, सतनामी
20. चांडाल
21. चन्धाई मारू
22. चेरुआ, छेलिया
23. दंडासी
24. देवर
25. धनवार
26. धोबा, धोबी
27. डोम, डोम्बो, डुरीया, डोम
28. दोसधा
29. गंडा
30. घंटरघड़ा, घंटरा
31. घासी, घसिया
32. घोगिया
33. घुसुरिया
34. गोडागली
35. गोडारी
36. गोडरा
37. गोखा
38. गोराईत, कोराईत
39. हाड्डी, हाडी, हरी
40. ईरीका
41. जग्गली
42. कंडरा, कंडारा
43. कारुआ
44. कटिआ
45. केला
46. खडाल
47. कोडालो, खोडालो
48. कोरी
49. कुम्मारी
50. कुरुंगा
51. लवाण
52. लाहेरी
53. मदारी
54. मादिग
55. महूरिया
56. माला, झाला, मालो, झाला
57. मांग
58. मांगण
59. मेहरा, मह्वार
60. मेहतर, भंगी
61. मेवार
62. मुंडपोट्टा
63. मुसहर
64. नगारची
65. नामशूद्र
66. पैडी
67. पैण्डा
68. पामीडी
69. पाण, पाणो
70. पंचम
71. पाणिका
72. पंका
73. पाणतन्ति
74. पाप
75. पासी
76. पटिआल, पाटीकर, पात्रतन्ति, पटुआ
77. रजना

78. रेल्ली
79. सबाखिआ
80. समासी
81. सनेई
82. सपरी
83. सौतिया, सांतिया
84. सिंघरिआ
85. सिंदूरिया
86. सियाल
87. टमाडिया
88. टमुडिया
89. तानला
90. तियार, तियोर
91. तुरी
92. उजीआ
93. वालमीकि, वाल्मीकि

भाग 14—पंजाब

1. आद धर्मी
2. बाल्मीकि, चूड़ा, भंगी
3. बंगाली
4. बरड़, बुरड़, बेरड़
5. बटवाल
6. बौरिया, बावरिया
7. बाजीगर
8. भंजड़ा
9. चमार, जटिया चमार, रेहंगड़, रैगढ़, रामदासी, रविदासी
10. चनाल
11. डागी
12. दर्ड
13. डेहा, डैया, ढेआ
14. धानक
15. ढोंगरी, ढांगरी, सिंगी
16. डूमना, महाशा, डूम
17. गगड़ा
18. गंढीला, गण्डील गोंडोला
19. कबीरपंथी, जुलाहा
20. खटीक
21. कोरी, कोली
22. मरीजा, मरेचा
23. मजहबी
24. मेघ
25. नट
26. ओड
27. पासी
28. पेरना
29. फेरेरा
30. सनहाई
31. सनहाल
32. सांसी, भेड़कुट, मनेश
33. संसोई
34. सपोला
35. सरैड़ा
36. सिकलीगर
37. सिरकीबन्द

भाग 25—राजस्थान

1. आदि धर्मी
2. अहेरी
3. बादी
4. बागरी, बागड़ी
5. बैरवा, बेरवा
6. बाजगर
7. बलाई
8. बांसफोर, बांसफोड़
9. बावरी
10. बर्गी, वर्गी, बिर्गी
11. बावरिया
12. बेडिया, बेरिया
13. भांड
14. भंगी, चूड़ा, सेहतर, औलगाना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, वाल्मीकि, कोरार, झाडमाली
15. बिदाकिया
16. बोला
17. चमार, भंभी, बंभी, भंधी, जटिया, जाटव, जाटवा, मोची, रैदास, रोहिदास, रेगड़, रैगड़, रामदासिया, असादरू, असोदी, चमाडिया, चम्भार, चामगार, हरलय्या, हराली, खलपा, मचिगार, मोचीगार,

मादर, मादिग, तेलुगु मोची, कामठी मोची, राणीगार, रोहित, सामगार
18. चांडाल
19. दबगर
20. धानक, धानुक
21. धानकिया
22. धोबी
23. ढोली
24. डोम, डूम
25. गांडिया
26. गरांचा, गांचा
27. गरो, गरुड़, गुर्डा, गरोडा
28. गवारिया
29. गोधी
30. जीनगार
31. कालबेलिया, सपेरा
32. कामड़, कामड़िया
33. कंजर, कुंजर
34. कपाड़िया सांसी
35. खंगार
36. खटीक
37. कोली, कोरी
38. कूचबन्द, कुचबन्द
39. कोरिया
40. मदारी, बाजीगर
41. महार, तराल, धेगुमेगु
42. माह्यावंशी, ढेड़, ढेड़ा, वणकर, मारु वणकर
43. मज़हबी
44. मांग, मातंग, मिनिमादिग
45. मांग गारोड़ी, मांग गारुडा
46. मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेंघवार
47. मेहर
48. नट, नुट
49. पासी
50. रावल
51. सालवी
52. सांसी
53. सांतिया, सतिया
54. सरभंगी,
55. सरगड़ा
56. सिंगीवाला
57. थोरी, नायका
58. तीरगार, तीरबन्द
59. तुरी

भाग 16—तमिलनाडु

1. आदि आन्ध्र
2. आदिद्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आजिला
5. अरुंततियार
6. अय्यनवर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेंकोट्टा तालुक में)
7. बैरा
8. बकुड़ा
9. बण्डी
10. बेल्लरा
11. भरतर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
12. चक्किलियन
13. चलवादि
14. चमार, मुची
15. चाण्डाल
16. चेरुमान
17. देवेन्द्रकुलथन
18. डोम, डोम्बारा, पैड़ी, पानो
19. डोम्बन
20. गोडागली
21. गोड्डा
22. गोसंगी
23. होलेया
24. जग्गाली
25. जम्बुवुलु
26. कडइयन
27. कक्कलन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
28. कल्लादि
29. कनक्कन, पाडन्ना (नीलगिरि जिले में)
30. करिम्पालन
31. कावरा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
32. कोलियन
33. कूसा
34. कूटन, कूडन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)

35. कुडुम्बन
36. कुरवन, सिद्धनार
37. मदारी
38. मादिग
39. मैला
40. माल
41. मन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
42. माविलान
43. मोगर
44. मुण्डाला
45. नलकेयव
46. नायाड़ी
47. पडन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
48. पगाडै
49. पल्लन
50. पल्लुवन
51. पमवाड़ा
52. पानन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
53. पंचम
54. पनाड़ी
55. पन्नियांडी
56. परैयन, परयन, साम्बवर
57. परवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
58. पथियन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
59. पुलयन, चेरमार
60. पुदिरैवन्नन
61. राणीयार
62. सामगार
63. सम्बन
64. सपरी
65. सेम्मन
66. तण्डन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
67. थोटि
68. तिरुवल्लुवर
69. वेल्लन
70. वल्लुवन
71. वन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
72. वातिरियन
73. वेलन
74. वेटन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
75. वेट्टियान
76. वेट्टुवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)

भाग 17—त्रिपुरा

1. बागदी
2. भुईमाली
3. भुनर
4. चमार, मूची
5. दासदासी
6. धेनुआर
7. धोबा
8. डोम
9. घासी
10. गौर
11. गुर
12. जेलेया कैवर्त
13. कहार
14. कालिन्दी
15. काम
16. कण्दा
17. कनुह
18. केवत
19. खादित
20. खारिया
21. कोच
22. कोयर
23. कोल
24. कोरा
25. कोटाल
26. महिष्यदास
27. माली
28. मेहतर
29. मुसहर
30. नमोशूद्र
31. पाटनी
32. सवर

भाग 18—उत्तर प्रदेश

1. अगरिया
2. बधिक
3. बादी
4. बहेलिया
5. बैंगा
6. बैसवार
7. बजनिया
8. बाजगी
9. बलहार
10. बलाई
11. बाल्मीकि
12. बंगाली
13. बनमानुष
14. बांसफोड़
15. बरवार
16. बसोड़
17. बावरिया
18. बेलदार
19. बेरिया
20. भंतू
21. भुईया
22. भुईयार
23. बोरिया
24. चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव
25. चेरो
26. दबगर
27. धंगड़
28. धानुक
29. धरकार
30. धोबी
31. डोम
32. डोमर
33. दुसाध
34. धरामी
35. धसिया
36. गोंड
37. ग्वाल
38. हबूड़ा
39. हरी
40. हेला
41. कलाबाज
42. कंजर
43. कपड़िया
44. करवल
45. खराहा
46. खरवार (बनबांसी को छोड़कर)
47. खटीक
48. खोरोट
49. कोल
50. कोरी
51. कोरवा
52. लालबेगी
53. मझवार
54. मज़हबी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा
58. परहिया
59. पासी, तरमाली
60. पाटरी
61. रावत
62. सहारया
63. सिनौढिया
64. सांसिया
65. शिल्पकार
66. तुरैहा

भाग 19—पश्चिमी बंगाल

1. बागड़ी, दुले
2. बहेलिया
3. बायती
4. बंतर
5. बौरी
6. बेलदार
7. भोगता
8. भुईमाली
9. भुइया
10. बिन्द
11. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रूईदास, ऋषि
12. चौपाल
13. दबगर
14. दामाई (नेपाली)
15. धोबा, धोबी
16. दोयाई
17. डोम, धंगड़
18. दोसाध, दुसाध, धारी, धारही
19. घासी
20. गोनरही
21. हलालखोर
22. हरी, मेहतार, मैहतौर, भंगी
23. जेलेया, कैबर्त

24. झालो मालो, मालो
25. कादर
26. कामी (नेपाली)
27. कांदरा
28. कंजर
29. कादरा
30. करेंगा, कोरंगा
31. कौर
32. केवट, केयोट
33. खंरा
34. खटीक
35. कोच
36. कोनाई
37. कोलबार
38. कोटाल
39. कुरारियर
40. लालबेगी
41. लोहार
42. महार
43. माल
44. मल्लाह
45. मुसहर
46. नामशूद्र
47. नट
48. नूनिया
49. पलिया
50. पान, सवासी
51. पासी
52. पाटनी
53. पोद, पोन्द्रा
54. राजवंशी
55. राजवार
56. शड़की (नेपाली)
57. सुनरी (साहा को छोड़कर)
58. तियर
59. तूरी ।" ।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

अध्याय 1

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में,—

(क) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

"3. इस आदेश में किसी राज्य अथवा किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है ।" ;]

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

"अनुसूची

भाग 1—आन्ध्र प्रदेश

1. अन्ध
2. बगटा
3. भील
4. चेंचु, चेंचुवार
5. गडबा
6. गोंड ; नायकपोड, राजगोंड
7. गौडू (अभिकरण भूखण्डों में)
8. हिल रेड्डि
9. जातपू
10. कम्मर
11. कट्टुनायकन
12. कोलम, मन्नरवर्लू
13. कोंडा दोरा
14. कोंड कापु
15. कोंडारेड्डि
16. कोंध, कोडि, कोदू, देसेय कोंध; डोंगरिया कोंध, कट्टिया कोंध; टिकरिया कोंध; येनिदी कोंध

17. कोटिया, बेंथो ओरिया, बारत्तिका, धुलिया, डुलिया, होल्वा, पैंको पुटिया, सन्रोण, सिधापैंको
18. कोया गौड, राजा, राश कोया, लिंगधारी कोया (साधारण), कोट्टू कोया, भिणे कोया, राज कोया
19. कुलिया
20. मालि (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीम नगर, खम्मम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और वरंगल जिलों को छोड़कर)
21. मन्ना दोरा
22. मुखा दोरा, नूका दोरा
23. नायक (अभिकरण खण्डों में)
24. परधाण
25. पुर्जा, पेरंगीपेर्जा
26. रेड्डि दोरा
27. रोणा, रेणा
28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
29. सुगाली, लम्बाडी
30. तोटि, (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और वरंगल जिलों में)
31. वाल्मीकि (अभिकरण खण्डों में)
32. यनादी
33. येरुकुला

भाग 2—असम

1. स्वशासी जिलों में :—

1. चाकमा
2. डिमासा कछारी
3. गारो
4. ह्राजंग
5. ह्मार
6. खासी, जयन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगनागम
7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी जनजातियां :—
   (i) बियाते, बियेते
   (ii) चांगसान
   (iii) चंगलोई
   (iv) दौंगेल
   (v) गमल्हो
   (vi) गांगटे
   (vii) गुहते
   (viii) हान्नेंग
   (ix) हौकिप या हौपित
   (x) हौलाई
   (xi) हेंगना
   (xii) हंगुंध
   (xiii) हांग्खवाल, रंग्खल
   (xiv) जंग्बे
   (xv) ख्वौंचूंग
   (xvi) ख्वौरंग, खोतालंग
   (xvii) खेल्मा
   (xviii) खोल्ह
   (xix) किप्नेन
   (xx) कूकी
   (xxi) लेवांग
   (xxii) ल्हाघुम
   (xxiii) ल्हाजेम
   (xxiv) ल्होबुन
   (xxv) लुफेंग
   (xxvi) मांजेल
   (xxvii) मिसाउ
   (xxviii) रिआंग
   (xxix) सैहेम
   (xxx) सेलनाम
   (xxxi) सिंगसन
   (xxxii) सितल्हो
   (xxxiii) सुक्ते
   (xxxiv) थाडो
   (xxxv) थांग्न्यू
   (xxxvi) उइद
   (xxxvii) व्हाइफे
8. लाखेर
9. (ताई बोलने वाली) मान
10. कोई मिजो (लुशाई) जनजातियां
11. मिकिर
12. कोई नागा जनजातियां
13. पावी
14. सिंतेंग।

2. स्वशासी जिलों को छोड़कर असम राज्य में :—

1. कछार में दर्मन
2. बड़ो, बड़ो कछारी
3. डयोरी
4. होजाई
5. कछारी, सोन्वाल
6. लालुंग
7. मेच
8. मिरी
9. राभा

भाग 3—बिहार

1. असुर
2. बेगा
3. बनजारा
4. बठुडी
5. बेदिया
6. भूमिज (उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिणी छोटानागपुर खण्डों और संथाल परगना जिले में)
7. बिझिया
8. बिरहोर
9. बिरजिया
10. चेरो
11. चिक बराइक
12. गोंड
13. गोराइत
14. हो
15. करमाली
16. खरिया
17. खरवार
18. खोंड
19. किसान
20. कोरा
21. कोरवा
22. लोहार, लोहरा
23. माहली
24. माल पहरिया
25. मुन्डा
26. उरांव
27. परहया
28. संथाल
29. सौरिया पहाडिया
30. सावर

भाग 4—गुजरात

1. बर्डा
2. बावचा, बामचा
3. भरवाड़ (अलेच्छ, गीर, बराड़ा के जंगलों के नेसों में)
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावड़ा, बसावा, बसावे।
5. चारण (अलेच्छ, बराड़ा और गीर के जंगलों के नेसों में)
6. चौधरी (सूरत और बलसाद जिलों में)
7. चौधरा
8. धनक, तडवी, तेतारिया, वलवी
9. धोडिया
10. दुबला, तलाविया, हलपति
11. गमित, गम्ता, गविट, मची, पदवी
12. गोंड, राजगोंड
13. कथोडी, कटकारी, ढोर कथोडी, ढोर कटकारी, सोन कथोडी, सोन कटकारी
14. कोकणा, कोकणी, कुक्णा
15. कोली (कच्छ जिले में)
16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्धा
17. कुन्बी (डांग्स जिले में)
18. नायकाडा, नायेक, चोलीवाला नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना-नायक
19. पाधर
20. पराधी (कच्छ जिले में)
21. पर्धी, अदविचिन्चेर, फांसे पर्धी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर)

22. पटेलिया
23. पोमला
24. रबारी (अलेच्छ, बराड़ा और गीर, के जंगलों के नेसों में)
25. राथवा
26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. वाघेरी (कच्छ जिले में)
28. वारली
29. विटोलिया, कोटवालिया, बरोडिया

भाग 5—हिमाचल प्रदेश

1. भोट, बौद्ध
2. गद्दी [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट, लाहौल और स्पीती जिले से भिन्न राज्यक्षेत्रों को छोड़कर]
3. गुज्जर [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों को छोड़कर]
4. जाद, लाम्बा, खम्पा
5. कनौरा किन्नारा
6. लाहौला
7. पंगवाला
8. स्वांगला

1966 का 31

1966 का 31

भाग 6—कर्नाटक

1. अदियन
2. बर्डा
3. बवचा, बम्चा
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पवरा, वासव, वासवे
5. चेंचू, चेंचवार
6. चोधारा
7. दुबला, तालाविया, हलपति
8. गामिट, गमटा, गाविट, मावचि, पदवी, वाल्वी
9. गोंड, नायकपोड, राजगोंड
10. गोण्डालू
11. हक्कीपिक्की
12. हासालारु
13. इरुलर
14. इरुलिगा
15. जेनु कुरुबा
16. काडू कुरुबा
17. कम्मार (दक्षिणी कनारा जिला और मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
18. कनियान, कन्यान (मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
19. काथोडी, काटकारी, ढोर कथोडी, ढोर काटकारी, सोन कथोडी, सोन काटकारी
20. काट्टूनायकन्
21. कोंकण, कोंकणी, कुक्णा
22. कोली धोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्धा
23. कोंडा कापूस
24. कोरग
25. कोटा
26. कोया, भिने कोया, राजकोया
27. कुडिया, मेलकुडी
28. कुरुब (कुर्ग जिले में)
29. कुरुमान
30. महा मालासार
31. मलाई कुडी
32. मालासार
33. मालायेकान्डी
34. मालेरु
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराटी (दक्षिणी कनारा जिले में)
37. मेडा
38. नायकडा, नायक, चौलीवाला, नायका, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
39. पल्लियान
40. पानियान

41. पार्धी, अडविचिन्चेर, पनसे पार्धी
42. पटेलिया
43. राथावा
44. शोलगा
45. सोलीगारु
46. तोडा
47. वरली
48. विटोलिया, कोतवालिया, बारोडिया
49. येरावा

भाग 7—केरल

1. आडियन्
2. अरांडन्
3. अरावालन्
4. हिल पुलया
5. इरुलर्, इरुलन्
6. कादर
7. कमारा [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से धारा 5 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले के क्षेत्रों में] 1956 का 37
8. कणिक्कारन्, काणिक्कर्
9. काट्टुनायकन्
10. कोच्चूवेलन
11. कोंनडा कापूस
12. कोंडरेडि
13. कोरग
14. कोटा
15. कुडीया, मेलाकुडी
16. करचिचान्
17. कुरुमन्
18. कुरुम्बा
19. महामालासार
20. मलय अर्षन
21. मलय पंडारम्
22. मलवेडन
23. मलकुर्वन
24. मालासार
25. मलयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में]
26. मलयरयर
27. मनान्
28. माराटि (कन्नोर जिले के होसदुग और कासरगोड तालुक में)
29. मुतुवान, मुदुगर, मुदुवन
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पाणियन्
34. उल्लाडन
35. उरालि

भाग 8—मध्य प्रदेश

1. अगरिया
2. आन्ध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिआ, भूमिआ, भुइंआर भूमियां, मूमिआ, भारिया, पालिहा, पांडो
6. मतरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटलिया
8. भील मीना
9. भंजिया
10. बिआर, बीआर
11. बिझवार
12. बिरहुल, बिरहोर
13. दमोर, दामरिया
14. धनवार
15. गडाबा, गडबा
16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, बिसोनहार्न, मारिया, छोट मारिया, दंडामी मारिया, धुरु, धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंड, गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना, मन्नवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या,

मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमाडिया, वडे-माडिया, दराई

17. हलबा, हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
21. कीर (भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में)
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
24. कोंध, खोंड, कांध
25. कोल
26. कौलम
27. कोरकू, बोपची, मवासी, निहाल, नाहुल, बौंधी, बौंडेया
28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
32. मीना (विदिशा जिले के सिरोंज उप-खण्ड में)
33. मुंडा
34. नगेसिया, नागासिया
35. उरांव, धानका, धनगढ़
36. पनिका (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रिवा, सतना, शाहडोल, सीधी और टीकमगढ़ जिलों में)
37. पाव
38. परधान, पथारी, सरौती
39. पारधी (भोपाल, रायसेन तथा सिहोर जिलों में)
40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली, पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टकनकर टाकिया [(1) बस्तर, छिंदवाड़ा, मंडला, रायगढ़, सिवनी और सरगुजा जिलों में, (2) बालाघाट जिले की बेहर तहसील में, (3) बैतूल जिले के बैतूल और भैंसदेही तहसीलों में, (4) बिलासपुर जिले की बिलासपुर और कटघोरा तहसीलों में, (5) दुर्ग जिले की दुर्ग और बलोड तहसीलों में, (6) राजनन्द गांव जिले के चौकी मानपुर और महाला राजस्व निरीक्षकों के क्षेत्रों में, (7) जबलपुर जिले के मुरवारा, पाटन और सिहोर तहसीलों में, (8) होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सुहाग-पुर तहसीलों और नरसिंहपुर जिले में, (9) खंडवा जिले की हरसुद तहसील में, (10) राय-पुर जिले की बिंद्रा नवगढ़, धमतरी और महासमुन्द तहसीलों में]।
41. परजा
42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहरिया, सोरिया, सोर
43. साओंता, सौंता
44. सौर
45. सावर, सवरा
46. सोनर

भाग 9—महाराष्ट्र

1. आंध
2. बैगा
3. बर्डा
4. बावचा, बामचा
5. भैना
6. भारिआ भूमिया, भुईहार-भूमिया, पान्डों
7. भतरा
8. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगली गरा-सिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरहूल, बिरहोर

12. चौधरा (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलडाना चन्द्रपुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, औरंगाबाद, भीर, नान्देड़, उस्मानाबाद और परभणी जिलों को छोड़कर)
13. धाणका, तडवी, तेतारिया, वलवी
14. धनवार
15. धोडिया
16. दुबला, तालविवा, हलपति
17. गामित, गामता, गावीत, मावचि, पडवि
18. गोंड, राजगोड, अरख, आरखा अगारिया असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोईलाभुता, कोईलाभुती, भार, बिसीनहान, मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरु धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, कैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मढ़िया मारिया, माना, मन्नेवार, मोघया, मोंगिया, मौंघया, मुदिया, मुरिया, नगारची, नायकपाड, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्धारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया, वाडेमारिया
19. हलवा, हलवी
20. कमार
21. कायोडि, कातकारी, ढोर काथोडी, ढोर कातकारी, सोन काथोडी, सोन कातकरी
22. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
23. खैरवार
24. खड़िया
25. कोकणा, कोकणी, कुकणा
26. कोल
27. कोलाम, मन्नेवरलू
28. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्हार
31. कौंध, खौंड, कांध
32. कौरकू, बोंपची, मौवासी, निहाल नाहुल, बौधी, बौधया
33. कोया, भिन्ने कोया, राजकोया
34. नगेसिया, नगासिया
35. नायकडा, नायक, नायका, चोलीवाला, नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
36. औरांव, धनगड
37. परधान, पथारी, सरौती
38. पारधी, अडविचिचेर, फंस पारधी, लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चित्तापारधी, शिकारी टाकनकार, टाकिया
39. परजा
40. पटेलिया
41. पीमला
42. राथवा
43. सावर, सावरा
44. ठाकुर, ठाकर, का-ठाकुर, का-ठाकर, मा-ठाकुर, मा-ठाकार
45. थोटी (औरंगाबाद, बीड़, नान्देड, उस्मानाबाद, और परभणी जिलों और चन्द्रपुर जिले की राजुरा तहसील में)
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, बरोडिया

भाग 10—मणिपुर

1. आयमोल
2. एनाल
3. अंगामी
4. चिरु
5. चौथे
6. गंगते
7. हमार
8. काबुई
9. कच्चा नागा
10. खोइराओ
11. कोयरंग
12. कोम
13. लैमगैंग
14. माओ

15. मराम्
16. मैरिंग
17. कोई मीजो (लुसाई) जन-जातियां
18. मोन्सैंग
19. मायोन
20. पाइटे
21. पुरुम
22. राल्टे
23. सेमा
24. सिम्टे
25. सूहटे
26. तेंगखुल
27. थाडो
28. व्हाइफै
29. जाम्रो

भाग 11—मेघालय

1. चाक्कमा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. हमार
6. खासी, जैन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगाम
7. कोई कुकी जनजातियां जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—
   (i) बियाते, बियेते
   (ii) चंगसान
   (iii) चंगलोई
   (iv) दौगेल
   (v) गमल्हौ
   (vi) गंगते
   (vii) गुइते
   (viii) हैव्रंग
   (ix) हौंकिप, हैपित
   (x) हौलाई
   (xi) हेंगना
   (xii) हौनसुथ
   (xiii) ह्लाम्खोवाल, रंखोल
   (xiv) जंम्बे
   (xv) ख्वौचंग
   (xvi) ख्वोल्लंग, खोतालंग
   (xvii) खेल्मा
   (xviii) खाल्हु
   (xix) किपगेन
   (xx) कूकी
   (xxi) लेंथांग
   (xxii) ल्हांगम
   (xxiii) ल्हाजम
   (xxiv) ल्होबुन
   (xxv) लुफेंग
   (xxvi) मांजेल
   (xxvii) मिसाऊ
   (xxviii) रियांग
   (xxix) सैंरहैम
   (xxx) सेल्नाम
   (xxxi) सिग्सन
   (xxxii) सितल्हौ
   (xxxiii) सुक्ते
   (xxxiv) थादो
   (xxxv) थांग्यू
   (xxxvi) उइबू
   (xxxvii) व्हाइफै
8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाली)
10. कोई मीजो (लुसाई) जन-जातियां
11. मिकिर
12. कोई नागा जनजातियां
13. पावी
14. सिंतेंग

भाग 12—उड़ीसा

1. बागडा
2. बैगा
3. बणजारा, वणजारी
4. बाथुडी
5. भौत्तडा, धोत्तडा
6. भुइया, भूयां
7. भूमिआ
8. भूमिज
9. भूजीआ
10. बिंजाल
11. बिझिआ, बिझोआ
12. बीरहोर
13. बोंडोपोरजा
14. चेन्चू

15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारुआ
18. दिदयी
19. गादबा
20. गांडिया
21. धारा
22. गोंड, गोंडो
23. हो
24. होलवा
25. जातपु
26. जुआंग
27. कंध गोड
28. कावार
29. खडीआ, खडीयां
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा
32. किसान
33. कोल
34. कोल्हा लोहार, कोल-लोहार
35. कोल्हा
36. कोली, मल्हार
37. कोन्डादोरा
38. कोरा
39. कोरुआ
40. कुटीआ
41. कोया
42. कुली
43. लोधा
44. मादिआ
45. माहालि
46. मांकिडी
47. मांकिरडिआ
48. माटिआ
49. मिर्धा
50. मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा-महाली
51. मुंडारी
52. औमनात्या
53. ओरांक्
54. पेरेंगा
55. परोजा
56. पेंटिया
57. राजुआर
58. सांताल
59. सवोरा, सवर, सौंरा, सहरा
60. शवर, लोधा
61. साउन्ती
62. थारूआ

भाग 13—राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा वसवा, वसावे
2. भील मीना
3. डामोर, डामरिया
4. धाणका, तड़वी, तेतारिया, वलवी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)
6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढौर कातकरी, सोन काथौडी, सोन कातकरी
7. कोकना, कोकनी, कुकणा
8. कोली, ढोर,टोकरे कोली कोलचा, कोलधा
9. मीना
10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेहारिया, सेहरिया, सहारिया

भाग 14—तमिलनाडु

1. अडियन
2. अरनाडन
3. एरवल्लन
4. इरूलर
5. काडर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
7. कनिकरण, कनिकर(कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले

के शेन्कोट्टा तालुक में)
8. कनियन, कन्यन
9. काट्टुनायक्कन
10. कोचुवेलन
11. कोन्डा कपूस
12. कोन्डारेड्डि
13. कोरागा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्छन
17. कुरुमान्स (नीलगिरि जिले में)
18. कुरुमान्स
19. महा मल्लेसर
20. मलै अरैयन
21. मालै पंडाराम
22. मलै बैडन
23. मलक्कुरवन
24. मल्लेसर
25. मल्याली (धर्मपुरी, उत्तरी अर्काट, पुडुकोट्टाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरुचिरापल्ली जिलों में)
26. मलयेकंडी
27. मान्नन
28. मुडुगर, मुडूवन
29. मदुवन
30. पाल्लयन
31. पलियन
32. पल्लयर
33. पनियन
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
36. उरली

भाग 15—त्रिपुरा

1. भील
2. भुटिया
3. चैमल
4. चकमा
5. गारो
6. हलाम
7. जमातिया
8. खसिया
9. कुकी जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित उप जनजातियां भी हैं :—
   (i) बाल्टे
   (ii) बेललहुत
   (iii) छाल्य
   (iv) फुन
   (v) हजांगो
   (vi) जंगते
   (vii) खरेंग
   (viii) केफंग
   (ix) कुन्तेई
   (x) लाइफंग
   (xi) लेनतेई
   (xii) मिज़ेल
   (xiii) नमते
   (xiv) पाइतु, पाइते
   (xv) रंगचान
   (xvi) रंखल
   (xvii) थंग्लुया
10. लेप्चा
11. लुसाई
12. मग
13. मुन्डा, कौर
14. नोआतिया
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्थाल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टीपरा
19. उचई

भाग 16—पश्चिमी बंगाल

1. असुर
2. बैगा
3. बेदिया, बिदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते, तिब्बती; थोलमो
6. बीरहड़
7. विर्जिया
8. चाकमा

9. चेरी
10. चिक बारैक
11. गारो
12. गोंड
13. गोड़त
14. हाजंग
15. हो
16. करमाली
17. खाड़वार
18. खौंड
19. किसान
20. कोड़ा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लीधा, खेड़िया, खाड़िया
24. लौहारा, लौहरा
25. मध्य
26. माहली
27. महली
28. माल पहाड़िया
29. मेच
30. म्रू
31. मुंडा
32. नागेसिया
33. ओरांव
34. पाड़ैया
35. राभा
36. सन्थाल
37. सौरिया पहाड़िया
38. सावर।"।

अध्याय 2

संविधान (अन्डमान और निकोबर द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 में,—

(क) पैरा 2 में "जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची में उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट हैं" शब्दों के स्थान पर "उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

"अनुसूची

1. अन्डमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा, टाबो, बो, येरे, कोडे, बीय, बालाबा, बोजीगियाब, जवाई, कोल
2. जरावा
3. निकोबर निवासी
4. ओंगे
5. सेंटीनेली
6. शोम पेन।"।

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977

(1977 का अधिनियम संख्यांक 48)

[31 दिसम्बर, 1977]

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977 है ।

1956 का 95

धारा 2 का संशोधन ।

2. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में "तेरह" शब्द के स्थान पर "सत्रह" शब्द रखा जाएगा ।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978

(1978 का अधिनियम संख्यांक 29)

[5 अगस्त, 1978]

आय-कर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 है ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त होगा ।

1961 के अधिनियम 43 का संशोधन ।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 में,—

(क) अध्याय 3 में, धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

राजनैतिक दलों की आय के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध ।

'13क. किसी राजनैतिक दल की ऐसी किसी आय को जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज", "गृह सम्पत्ति से आय" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है या किसी व्यक्ति से किसी राजनैतिक दल द्वारा प्राप्त

स्वैच्छिक अभिदायों के रूप में आय को ऐसे राजनैतिक दल की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि—

(क) ऐसा राजनैतिक दल ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजें रखता है और बनाएं रखता है जिनसे आय-कर अधिकारी उनसे होने वाली उसकी आय को उचित रूप से अवकलित कर सके ;

(ख) प्रत्येक ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय की बाबत जो दस हजार रुपए से अधिक है, ऐसा राजनैतिक दल ऐसे अभिदाय का और ऐसा अभिदाय करने वाले व्यक्ति के नाम और पते का अभिलेख रखता है और बनाए रखता है ; और

(ग) ऐसे राजनैतिक दल के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के खंड दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा लेखापरीक्षित किए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "राजनैतिक दल" से भारत के व्यष्टिक नागरिकों का ऐसा संगम या निकाय अभिप्रेत है जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 3 के अधीन राजनैतिक दल के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत है तथा इसके अन्तर्गत वह राजनैतिक दल भी है जो उस पैरा के उपपैरा (2) के परन्तुक के अधीन उस आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत समझा जाता है ।' ;

(ख) धारा 37 में,—

(i) उपधारा (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2ख) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, ट्रैक्ट, पुस्तिका या इसी प्रकार के अन्य प्रकाशनों में विज्ञापन पर किसी निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय की बाबत कोई मोक नहीं दिया जाएगा।";

(ii) उपधारा (3क) में (वित्त अधिनियम, 1978 की धारा 8 द्वारा अन्तःस्थापित के लिए यथानिर्दिष्ट), — 1978 का 19

(1) "उपधारा (3) के उपबंधों पर" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उपधारा (2ख) या उपधारा (3) के उपबंधों पर" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(2) स्पष्टीकरण के खंड (क) में "उपधारा (3) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर "उपधारा (2ख) या उपधारा (3) या दोनों के अधीन" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 139 की उपधारा (4क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4ख) यदि वह कुल आय जिसकी बाबत कोई राजनैतिक दल निर्धारणीय है (इस प्रयोजन के लिए कुल आय धारा 13क के उपबंधों को प्रभावी किए बिना इस अधिनियम के अधीन संगणित की जाएगी), उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं है तो, ऐसे प्रत्येक राजनैतिक दल का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चाहे ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव के रूप में या किसी अन्य पदनाम से ज्ञात हो) पूर्ववर्ष की ऐसी आय को विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित करके और ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए जो विहित की जाएं, विवरणी देगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उपधारा (1) के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित विवरणी हो।"।

1957 के अधिनियम 27 का संशोधन।

3. धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 45 के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड और स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(झ) कोई राजनैतिक दल ।

स्पष्टीकरण—खंड (झ) के प्रयोजनों के लिए, "राजनैतिक दल" का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम की धारा 13क के स्पष्टीकरण में है।'।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979

(1979 का अध्यादेश संख्यांक 7)

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित

[1 सितम्बर, 1979]

सिक्किम राज्य में सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनः समायोजन का उपबंध करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश

लोक सभा का विघटन हो गया है और राज्य सभा सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

अतः संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

1950 के अधिनियम 43, 1951 के अधिनियम 43 और संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना ।

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तन की अवधि के दौरान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभाव होगा ।

1950 के अधिनियम 43 की धारा 7 का संशोधन ।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 7 में,--

(क) उपधारा (1) में, "द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हर एक राज्य की विधान सभा में उन स्थानों की कुल संख्या" शब्दों के स्थान पर "उपधारा (1क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हर एक राज्य की विधान सभा में उन स्थानों की कुल संख्या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

'(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी सिक्किम राज्य की विधान सभा में उन स्थानों की कुल संख्या जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के प्रारंभ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है जो सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, बत्तीस होगी जिसमें से---

(क) बारह-स्थान भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित होंगे ;

(ख) दो स्थान उस राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे; और

(ग) एक स्थान धारा 25क में निर्दिष्ट संघ के लिए आरक्षित होगा ।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा में "भूटिया" के अन्तर्गत चुम्बिपा, डोप्थपा, दुकपा, कगाते, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा या योल्मो भी हैं ;';

(ग) उपधारा (2) में, "उपधारा (1) में" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपधारा (1) या उपधारा (1क) में" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) में,--

(i) अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रत्येक सभी निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार धारा 7क की उपधारा (3) के

उपबंधों के अधीन रहते हुए' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"सिक्किम राज्य के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 की धारा 5 द्वारा यथासंशोधित संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में उपबंधित किया गया हो" ।

1951 के अधिनियम 43 की धारा 5क का संशोधन ।

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 5क उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित की जाएगी और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'(2) धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी सिक्किम राज्य की विधान सभा में स्थान को भरने के लिए जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1979 के प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय गठित की जाती है, चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह —

(क) भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, या तो भूटिया या लेप्चा उद्भव का व्यक्ति न हो और राज्य में किसी ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जो संघों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न है, निर्वाचक न हो ;

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, सिक्किम राज्य में उन जातियों में से किसी का सदस्य न हो और राज्य में किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ग) संघों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, संघ निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक न हो ;

(घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो ।

स्पष्टीकरण —इस उपधारा में "भूटिया" के अन्तर्गत चुम्बिपा, डोथपा, दुकपा, कगाते, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा या योल्मो भी हैं ।' ।

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का संशोधन ।

5. इस अध्यादेश के प्रारम्भ से ही संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची में यथा निदेशित रूप में संशोधित हो जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 5 देखिए)

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का संशोधन

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में,—

(i) पैरा 5 में,—

(क) "और जहां ऐसा नाम" शब्दों के स्थान पर "जहां ऐसा नाम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "अनुसूचित जनजातियों" शब्दों के पश्चात् 'और जहां ऐसा नाम कोष्ठकों और अक्षरों "(बी एल)" द्वारा सुभिन्न किया गया है वहां उस निर्वाचन-क्षेत्र में का स्थान भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित है' शब्द, कोष्ठक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—इस पैरा में "भूटिया" के अन्तर्गत चुम्बिपा, डोप्थपा, दुकपा, कगाते, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा या योल्मो भी हैं।' ;

(ii) अनुसूची 2 में,—

(क) प्रविष्टि 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"18. सिक्किम .. .. .. 32* 2 12 (भूटिया†-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित) ;";

(ख) अन्त में दिए गए टिप्पण में, "*इसके अन्तर्गत संघ निर्वाचन-क्षेत्र के लिए आरक्षित एक स्थान आता है" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"*इसके अन्तर्गत संघ निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक स्थान आरक्षित है।

†इसके अन्तर्गत चुम्बिपा, डोप्थपा, दुकपा, कगाते, शेरपा, तिब्बती, ट्रोमोपा या योल्मो हैं।";

(iii) अनुसूची 19 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची 19क

सिक्किम

सभा निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम संख्यांक	नाम और निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
1.	**योकसाम**—केटचोफेरी इलाखा में योकसाम, लाविंग, डुब्दी, गेरेथांग, केटचोफेरी, चोंजों, थिंगलिंग ब्लाक I और थिंगलिंग ब्लाक II; पेमोयोंगत्से इलाखा में चुमबुंग, नाको, सिंगेंग, गिडारंग, दाराप, नाम्बो, टोपोंग और सिंगरापोंग ब्लाक; और पश्चिमी जिले के मेली इलाखे में टिंगब्रोम, सिंगलीटाम, मेल्ली, और मेल्ली अचिंग ब्लाक।
2.	**ताशिडिंग (बी एल)**—पश्चिमी जिले के ताशिडिंग इलाखा में धुपिडारा, नरखोला, मंगनाम, लबडांग, कोंगरी, गंजेप, चुंगरेंग, अर्थिंग, लस्सो, ताशिडिंग, यांगटेय, ओंगलेप और भालुथंग ब्लाक।
3.	**गेयजिंग**—पेमोयोंगट्से इलाखा में ओमचुंग, गेयजिंग, क्योंगसा, लूनगजिक और पेमोयोंगट्से, संगाचोलिंग इलाखा में टिकजेक, सरडोंग और लिंगचोम ब्लाक; और पश्चिमी जिले के यांगथांग इलाखा में यांगथांग ब्लाक; और दक्षिणी जिला के वाक-सोमिंग इलाखा में लेकशिप ब्लाक।
4.	**डेनटाम**—पश्चिमी जिले के यांगथांग इलाखा में लिचिंग, वेंधा, श्री तांगी, ग्याटेन, करमाटार, सोपाखा, मानेयजोंग, मंगनू, डेनटाम, सापुंग, बोंगटेन, राधुकुंडु और सांखु ब्लाक।
5.	**बारसिओक**—यांगथांग इलाखा में ही, मारटाम, बारसिओक, वारथांग, ही पाटाल और पचरेक ब्लाक; और पश्चिमी जिले के रिनचेनपांग इलाखा में सियोंग, मेगयोंग, चिथांग और बारफोक ब्लाक।
6.	**रिनचेनपोंग (बी एल)**—रिनचेनपोंग इलाखा में संगडारजी, हार्थीडुगा, जील, बूम, रेशी (क)—रेशी (ख), रिनचेनपोंग, टाडोंग, सामडोंग, श्री बादाम (क) और श्री बादाम (ख) ब्लाक; और पश्चिमी जिले के चाकुंग इलाखा में टाकुथांग, चुचेन, डेथांग और पारेगांव ब्लाक; और दक्षिणी जिले के बाक सोसिंग इलाखा में संगनाथ।
7.	**चाकुंग**—पश्चिमी जिले के चाकुंग इलाखा में तिनजेरबोंग, सुलडोंग, कमलिंग, सिंगयेंग, मार्बोंग, सुनटोलेय, खानी सिरबोंग, अरुबोटेय, सामसिंग, गेलिंग या चाकुंग, मेण्डोगांव, सामडोंग और चुमबुंग ब्लाक।
8.	**सोरेओंग**—पश्चिमी जिले के चाकुंग इलाखा में सोरेओंग, सोरेओंग बाजार, सिंगलिंग, टिम्बरबोंग, बुरी खोप, करोक, मालबासेय, और टारपु ब्लाक।

क्रम संख्यांक	नाम और निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार

9 **दारामदीन**—पश्चिमी जिले के दारामदीन इलाखा में रुमबुक, बुरीखोप, लोअर दारामदीन, लोअर थामबुंग, अपर थामबुंग, सालेंगडोंग, लुंगचोक, सिकतम, टिकपुर, ओखरे, रिकदी और भारेंग ब्लाक ।

10. **जोरथांग**—नया बाजार-पश्चिमी जिले के चाकुंग इलाखा में जूम ब्लाक, नीमची इलाखा में सालधारी, दोरोप, धारधरगांव, चिसोपानी, तिनेक, पोकलोक, डेनचुक, असंगथांग, सामबुंग, कोपचे और मिक-खोला ब्लाक और दक्षिणी जिले के किटाम इलाखा में श्यामपानी, सोरोक, मानपुर, किटाम और गीम ब्लाक ।

11. **रालांग (बी एल)**—बांग इलाखा में सड़ा, फामटाम, बांग और पोलोट ब्लाक रालांग इलाखा में नामलुंग, लिंगडिंग, रालांग, जोरांग, विरिंग, बंरफोंग और देथांग ब्लाक और दक्षिण जिले के बाक-सोसिंग, इलाखा में बाखिम केवजिंग, डालेप और लिंगजो ब्लाक ।

12. **बाक**—बाकसोसिंग इलाखा में झिंगडाम, लामाटेन, टिंगमो, टिंकोटाम, ओमचु, चुसलोक, बाक, रायोंग और मांगबु ब्लाक बेन नामफ्रिक इलाखा में बेन, नामफ्रिक रावांग और सांगमो ब्लाक; दक्षिण जिले के टेमी टारकु इलाखा देम्री ब्लाक ।

13. **डामथांग**—नामची इलाखा में डामथांग, जौबारी, चेमचेय, पाबोंग, बूमतार, साल्लीबुंग, मनीराम, पल्लीडारा, टिंगरी, मामले गुम्बा, पाजेर, तनजिर, कामरांग; और सिंगीथांग ब्लाक और दक्षिण जिले के टुरुक, सुमबुक इलाखा में सिंगताम, बुल, पालुम और रोंग ब्लाक ।

14. **मेल्ली**—दक्षिण जिले के टुरुक-सुमबुक इलाखा में मेल्ली बाजार, मेल्ली, दारा, केराबाड़ी, सुनटोले, सुखबाड़ी, टुरुक, रामबुंग, पंचधारेय, लुंगचोक, कामारेंग, सुमबुक, कार्तिकेय टोले (सुमबुक), पयोंग, रबितार, और सादम ब्लाक ।

15. **राटेयपानी, पश्चिमी पेनडाम, राटेयपानी (अ०जा०)**— राटेयपानी इलाखा के सुमबुक जिले में रबिखोला, टांगजी, बिगमा, राटेयपानी और पस्सी ब्लाक; दक्षिणी जिले के नामथांग इलाखा में कटिंग बोकरम, पमफोक, नालाम-कोलबंग, नागी, पालीटाम, मानेयडारा, काबरेय, कामामटेक, टुरुंग, डोनोक और मामरिंग ब्लाक; और पूर्व जिले के नामथांग इलाखा में पश्चिम पेनडाम ।

16. **टेमी-टारकु**—टेमी-टारकु इलाखा में टानाक, टारकु, टेवी और आयफालटर ब्लाक; बरपिओक इलाखा में पावोंग, डारिंग, टोडेय, रेशेंग, टौरेल, नामफिंग, बारपिओक, थांगलिंग, चालमथांग, निजारमेंग, रामेंग और बुरुल ब्लाक और दक्षिण जिले के नामथांग इलाखा में पारविंग, फोंग, छुवा, कारेक ब्लाक ।

17. **केन्द्रीय पेनडाम**—पूर्व पेनडाम-सुमिन इलाखा में सिंगटाम बाजार, सुमिन, लिंगजेटा और मांगथांग ब्लाक, और पूर्व पेनडाम के पेनडाम इलाखा में केन्द्रीय पेनडाम, पूर्व पेनडाम, रंगपो बाजार, कामरेय-मासमेय, पचाक और साजोंग ब्लाक ।

क्रम संख्यांक	नाम और निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
18.	**रेहनोक**—रेहनोक इलाका में रेहनोक, तारपिन, रेहनोक बाजार, मुलुकेय, सुदांग इलाका और क्योंगसा ब्लाक, और टारेथांग इलाका में बिरिंग, टारेथांग और ताजा ब्लाक; और पूर्व जिले के पाथिंग इलाका में लिन्केय ब्लाक ।
19.	**रेगु**—रेहनोक इलाका में आरितार, दलापचन्द और खामडोंग ब्लाक; और पूर्व जिले के चुजाचेन इलाका में चुजाचेन, चोगेलाखा, उत्तरी रेगु, दक्षिणी रेगु, रोंगली बाजार, सिगाने वास, प्रेमलाखा और सुभानेय दारा ब्लाक ।
20.	**पाथिंग (बी एल)**—चांगेय-सेन्टी इलाका में चांगेय-सेन्टी और चांचेय सामसिंग ब्लाक; अम्बा तारेथांग इलाका में पारखा, रिबा, भाचोंग, लाटुक और चुचेनफेरी ब्लाक; और पूर्व जिले के चुजाचेन रेगु इलाका में रोलेप, लामाटेन, लिंगताम, फदमचेन और ग्नाथांग ब्लाक ।
21.	**लूजिंग पांचखानी**—आहो पाहम-थांगटाम इलाका में छोटा सिंगतम और आहो थांगटाम; और पूर्व जिले के पाकयोंग इलाका में नामचे-बुंग, कारटोक, डिकिंग, चालमथांग, लूजिंग, पांचखानी, डिकलिंग पाचेखानी, बेंगथांग और पालथांग बाजार ब्लाक ।
22.	**खामडोंग (अ०जा०)**—लिममो-नेहक्रोम इलाका में मानजिंग, टोकडेय, नेहक्रोम, कोलथांग, पेपथांग और लिंगमो ब्लाक; यानगंग इलाका में रानगंग, यानगंग, गागयोंग, सताम, नामफोक और श्रीपाटम ब्लाक; और पूर्व जिले के खामडोंग इलाका में सिंगबेल, डुंगडुंग, खामडोंग, बेंग, थांगसिंग-बी डांग और थासा ब्लाक ।
23.	**डजोनगु (बी एल)**—उत्तर जिले के अपर डजोनगु इलाका में अपर डजोनगु और लोअर डजोनगु ब्लाक; और दक्षिण जिले के लिंगी-पायोंग इलाका में सोकपेय, लिंगी, अपर पायोंग, लोअर पायोंग और काहु ब्लाक ।
24.	**लाचेन मंगशिला (बी एल)**—लाचेन इलाका में लाचेन ब्लाक; लाचुंग इलाका में लाचुंग ब्लाक; चुंगथांग में चुंगथांग ब्लाक; मल्लिंग इलाका में नागना मगोड़, सिंगचिट, टुंग मिओंग, सेनटम, पाकशेप, काजोर, सिंगचिक, रिंगेम, जिमचुंग, नामपाटम और मन्गन बाजार ब्लाक; और उत्तर जिले के फोड़ोंग इलाका में सायेम, टानयेक, रामथंग, अपर मंगशिला, लोअर मंगशिला, नामोक और थिंगचेन ब्लाक ।
25.	**कबी टिंगडा (बी एल)**—फोड़ोंग इलाका में रुनगोंग, तुमलुंग और फोड़ोंग ब्लाक; उत्तर जिले के फेनसांग-कबी टिंगडा इलाका में फेनसांग, लाबी, फामटाम, चावांग, मेन-रुनगोंग, कबी-टिंगडा और फानेय ब्लाक; और पेनलोंग इलाका में सोटाक, नाबेय और पेनलोंग ब्लाक; और पूर्व जिले के राकडोंग-टिनटेक इलाका में लिंगडोक और नामपुंग ब्लाक ।
26.	**राकडोंग-टेनटेक (बी एल)**—राकडोंग-टेनटेक इलाका में राकडोंग और टेनटेक ब्लाक; सामडोंग इलाका में सामडोंग-कमबोल और रालेय-खासे ब्लाक; तुमिन-चान्देय इलाका में तुमिन, सिमिक और चान्देय ब्लाक; और पूर्व जिला के खामडोंग इलाका में पाटुक, सिमिक, अरितार और लिंगजेय ब्लाक ।

क्रम संख्यांक	नाम और निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
27.	**मारटम (बी एल)**—सोंग मारटम इलाखा में सिखानी, साक योंग, चिसोपानी, राबडांग, चालमथंग, ब्यांग, नागेथांग, मारटम, फेंगयोंग, नजीटाम और तिकुटम ब्लाक; और पूर्व जिले के रुमटेक-मारचाक इलाखा में छुवा, नामली, मारचाक, साम्लिक, नामिन और तुमलाबुंग ब्लाक ।
28.	**रुमटेक (बी एल)**—रेनका-लिंगडुम इलाखा में मेन्डु, टेमपेय, साजोंग, चेनजेय, रावते रूमटेक, रेय ब्रोक और लिंगडुम ब्लाक; और पूर्व जिले के टाडोंग इलाखा में टाडोंग, समडुर, देवराली, देवराली बाजार और टाडोंग बाजार ।
29.	**आसाम लिंगजेय (बी एल)**—अहो-लिंगजेय-पाहम-सिंगताम इलाखा में पाहम, भुसुक, नामोक, नायटम, नन्दोक, लिंगजेय और आसाम ब्लाक; और पूर्व जिले के टाथन्गचेन इलाखा में टाथन्गचेन, रोंगनेक और सायारी ब्लाक ।
30.	**रानका (बी एल)**—पूर्व जिले के रानका इलाखा में पारिबिंग, रानका, बारबिंग, सोंगटोंग, बारटुक, लुबिंग, सूचांगग और चान्दमारी ब्लाक ।
31.	**गंगटोक**—[(क) पूर्व जिले का गंगटोक टाउन, (ख) गंगटोक बाजार, और (ग) डवलेपमेंट एरिया को सम्मिलित करते हुए] पूर्व जिले का गंगटोक ब्लाक ।

टिप्पण—इस सारणी में किसी जिला, इलाखा, ब्लाक या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्राय होगा जो उस जिला, इलाखा, ब्लाक या अन्य प्रादेशिक खण्ड के अन्तर्गत अप्रैल, 1975 के 26वें दिन को सम्मिलित है ।"।

नीलम संजीव रेड्डि,
राष्ट्रपति ।

रु० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री
सचिव, भारत सरकार ।

रु० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री,
सचिव, भारत सरकार ।

शुद्धि पत्र

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 20, खण्ड XIII, दिनांक 17 नवम्बर, 1977 को प्रकाशित—आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1976 में

पृष्ठ संख्यांक	प्रविष्टि	के स्थान	पर पढ़ें
1462	शीर्ष में	1916	1976
1462	धारा 2, पंक्ति 4	"(क)	"(1क)
1465	दायां स्कंध	146	1465